छत्तीसगढ़ फ्रंटलाइन

RNI Reg. No.-CHHHIN/2009/36148
डाक पंजीयन क्र.-45/Surguja Dn/2024-26

वर्ष - 16 ■ अंक - 267 ■ अम्बिकापुर, शनिवार 18 अक्टूबर 2025 पृष्ठ -8 ■ मूल्य - 1 रूपये

WWW.cgfrontline.com

अनुराग सिंह देव ने किया स्थानीय उधमियों का सम्मान, सम्मेलन में स्वदेशी उत्पादों की प्रदर्शनी आकर्षण का केंद्र रही

बतौली में आयोजित विधानसभा स्तरीय सम्मेलन में कैबिनेट मंत्री, विधायक और भाजपा पदाधिकारियों ने वोकल फॉर लोकल के संदेश के साथ आत्मनिर्भरता का संकल्प दोहराया

छ.ग.फ्रंटलाइन अंबिकापुर। सीतापुर विधानसभा क्षेत्र के सामुदायिक भवन बतौली में आत्मनिर्भर भारत संकल्प अभियान अंतर्गत वोकल फॉर लोकल विधानसभा स्तरीय सम्मेलन उत्साहपूर्वक संपन्न हुआ। इस अवसर पर नवपदस्थ कैबिनेट मंत्री अनुराग सिंह देव और विधायक रामकुमार टोप्पो की उपस्थिति में महिला-पुरुष उद्यमियों, व्यवसायियों और कामगारों को शॉल-श्रीफल भेंट कर सम्मानित किया गया।

कार्यक्रम परिसर में स्थानीय उद्यमियों द्वारा अपने स्वदेशी उत्पादों की प्रदर्शनी और बिक्री स्टॉल लगाए गए, जहाँ कार्यकर्ताओं, पदाधिकारियों और आम जनों ने स्वदेशी वस्तुओं की खरीदारी कर वोकल फॉर लोकल के संदेश को मजबूत किया।

कैबिनेट मंत्री पद का दर्जा प्राप्त होने के बाद पहली बार बतौली पहुंचे अनुराग सिंह देव का कार्यकर्ताओं ने आतिशबाजी और पुष्प मालाओं से भव्य स्वागत किया।

अनुराग सिंह देव ने अपने उद्बोधन में कहा कि आत्मनिर्भर भारत का लक्ष्य तभी संभव है जब हम स्थानीय उत्पादों, कारीगरों और छोटे व्यवसायों को प्राथमिकता दें। उन्होंने कहा कि वोकल फॉर लोकल केवल एक नारा नहीं, बल्कि देश की आर्थिक स्वतंत्रता की दिशा में एक मजबूत कदम है। प्रत्येक नागरिक को स्वदेशी उत्पाद अपनाने की दिशा में जागरूक रहना चाहिए।

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए विधायक रामकुमार टोप्पो ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश आत्मनिर्भरता की राह पर तेजी से आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि गाँव-गाँव के उद्यमी, किसान, बुनकर और कारीगर इस अभियान की रीढ़ हैं। बतौली क्षेत्र में स्वदेशी उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए हरसंभव सहयोग दिया जाएगा।

नवापारा मैदान का नामकरण टला, चांदनी चौक का पूर्व में नामकरण करने को लेकर संशय

छ.ग.फ्रंटलाइन अंबिकापुर। मेयर-इन कौंसिल के द्वारा शहर के चौक, मार्गों, उद्यान एवं अन्य स्थानों का नामकरण कराए जाने की सर्वसम्मति से अनुशंसा की गई थी। गुरूवार को हुई नगर निगम अंबिकापुर की दूसरी सामान्य सभा में चौक-चौराहा के नामकरण को लेकर सक्षम स्वीकृति के लिए प्रकरण निगम की सामान्य सभा में प्रस्तुत किया गया था। इसमें चांदनी चौक का नाम लाल बहादुर शास्त्री चौक और उद्यान एवं अन्य नामकरण में नवापारा मैदान का नाम बजरंग मैदान किए जाने का उल्लेख था।

नेता प्रतिपक्ष शफी अहमद के द्वारा शहर के नवापारा स्थित महागिरजाघर के सामने स्थित मैदान का नामकरण बजरंग मैदान किए जाने के प्रस्ताव का विरोध किया गया। उन्होंने सदन में हाईकोर्ट का स्टे आर्डर प्रस्तुत किया, इसके बाद सत्ता पक्ष ने इस मैदान का नामकरण बजरंग मैदान करने के प्रस्ताव को फिलहाल रोक दिया है।

इसी क्रम में चांदनी चौक का नामकरण पूर्व में करने की ओर सदन का ध्यानाकर्षण नेता प्रतिपक्ष ने कराया गया। विपक्ष की आशंका को देखते हुए पूर्व में चौक का नामकरण हुआ है या नहीं, इसका परीक्षण करने कहा गया है। इस चौक का नामकरण लाल बहादुर शास्त्री चौक करने सामान्य सभा में प्रस्तुत किया गया था। सामान्य सभा में 6 चौक, 25 मार्गों व 6 उद्यान व अन्य नामकरण हेतु विचार-विमर्श करके निर्णय लिया जाना था। दो आपत्ति के साथ शेष सड़कों, चौक-चौराहों के साथ भवनों का नामकरण सर्वसम्मति से किया गया।

न्यायालयीन प्रक्रिया के कारण रोका गया

नगर पालिक निगम के सभापति हरमिंदर सिंह टिन्नी ने बताया कि विपक्ष की आपत्ति और न्यायालयीन प्रक्रिया के चलते नवापारा मैदान का नामकरण लंबित रखा गया है। चांदनी चैक के पूर्व में नामकरण को लेकर संदेह की स्थिति है।

जिला पंचायत सीईओ ने किया शंकरगढ़ का सघन दौरा

★ निर्माणाधीन प्रधानमंत्री आवास, महतारी सदन एवं आंगनबाड़ी का किया निरीक्षण ★ गुणवत्तापूर्ण निर्माण करने के दिये निर्देश

बलरामपुर, छ.ग. फ्रंटलाइन। शासन की योजनाओं का बेहतर एवं प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करने जिला पंचायत सीईओ श्रीमती नयनतारा सिंह तोमर के द्वारा विकासखंड शंकरगढ़ क्षेत्र का भ्रमण किया गया। जिला पंचायत सीईओ श्रीमती तोमर ने विकासखंड शंकरगढ़ के विभिन्न ग्राम पंचायतों का सघन दौरा कर विभिन्न विकास कार्य एवं निर्माणाधीन कार्यों का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री आवास, महतारी सदन, आंगनबाड़ी, अटल डिजिटल सुविधा केन्द्र के लिए निर्मित हो रहे भवनों को समय-सीमा में गुणवतापूर्ण निर्माण करने के निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिए।

सीईओ श्रीमती तोमर विकासखण्ड शंकरगढ़ के ग्राम पंचायत आमगांव, खरखोना एवं डीपाडीह पहुंची। उन्होंने पीएम-जनमन आवास एवं प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण अंतर्गत निर्माणाधीन आवासों का निरीक्षण कर पीएम-जनमन के सभी स्वीकृत आवासों को समय-सीमा में अनिवार्य रूप से पूर्ण करने हेतु संबंधित तकनीकी सहायकों, सचिव, रोजगार सहायक, आवास मित्रों कों निर्देशित किया। श्रीमती तोमर ने महतारी सदन, आंगनबाड़ी, अटल डिजिटल सुविधा केन्द्र के लिए निर्मित हो रहे भवनों का भी अवलोकन किया। उन्होंने भवनों के गुणवत्ता का परीक्षण करते हुए अधिकारियो को निर्देशित किया कि भवनों का निर्माण गुणवतापूर्ण हो।

ग्राम भ्रमण के दौरान जिला पंचायत सीईओ ने राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन बिहान से जुड़े स्व-सहायता समूह की महिलाओं से संवाद किया। साथ ही महिला समूह द्वारा दीपावली के लिए तैयार किये जा रहे दियों का भी अवलोकन कर आय के संबंध में जानकारी ली। उन्होंने समूह की सराहना करते हुए कहा कि ऐसी गतिविधियाँ ग्रामीण महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। इस दौरान जिला पंचायत सीईओ ने स्व-सहायता समूह की सदस्यों से प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत स्वीकृत आवासों को निर्धारित समय सीमा में पूर्ण करने प्रोत्साहित किया। उन्होंने कहा कि सरकार की योजनाओं का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुँचना चाहिए और इसके लिए सभी का सहयोग आवश्यक है।

इस अवसर पर जनपद सीईओ वेदप्रकाश पाण्डेय, कार्यक्रम अधिकारी श्रीमती प्रीति प्रियंका लकड़ा, जिला समन्वयक श्री दिवाकर गुप्ता, एसडीओ सहित जनपद पंचायत के कर्मचारी सहित ग्राम के सरपंच तथा स्थानीय ग्रामीणजन उपस्थित रहे।

एनएच 43 पर टूटी नालियों के ढक्कनों से बढ़ा हादसों का खतरा

प्रतिनिधि छ.ग. फ्रंटलाइन

बिश्रामपुर। राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 43 जो बिश्रामपुर से सूरजपुर तक का प्रमुख मार्ग है, इन दिनों अपनी बदहाली और लापरवाही के कारण दुर्घटनाओं का अड्डा बनता जा रहा है। इस मार्ग के दोनों ओर बनी नालियों के ढक्कन जगह-जगह टूटे हुए हैं, जबकि कई स्थानों पर तो ये ढक्कन पूरी तरह गायब हो चुके हैं। परिणामस्वरूप राहगीरों और वाहन चालकों को आए दिन हादसों का सामना करना पड़ रहा है। इस गंभीर स्थिति को देखते हुए जिला पंचायत सदस्य कलेश्वरी कुर्रे ने कलेक्टर सूरजपुर को एक लिखित आवेदन सौंपकर शीघ्र कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने बताया कि बिश्रामपुर से सूरजपुर के बीच नालियों के ढक्कन टूटे या गायब हैं, जिसमें विशेष रूप से दोपहिया वाहन चालक सड़कों पर फिसलकर गिर रहे हैं। कई लोग पहले ही दुर्घटना का शिकार हो चुके हैं। जिला पंचायत सदस्य कलेश्वरी कुर्रे ने अपने पत्र में उल्लेख किया कि बरसात के दिनों में यह समस्या

और विकराल रूप ले लेती है। नालियों में जमा मिट्टी और पानी सड़कों पर फैल जाता है, जिससे सड़कें फिसलन भरी हो जाती हैं और छोटे वाहन चालक नियंत्रण खो बैठते हैं। उन्होंने कलेक्टर से आग्रह किया है कि एनएच 43 पर क्षतिग्रस्त नालियों के ढक्कनों को तत्काल बदला जाए और जहां ढक्कन नहीं हैं, वहां नए ढक्कन लगाए जाएं, ताकि आमजन की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके और मार्ग सुगम बने। स्थानीय लोगों का कहना है कि राष्ट्रीय राजमार्ग पर इस तरह की लापरवाही यात्रियों की जान से खिलवाड़ के समान है। यदि समय रहते मरम्मत कार्य नहीं किया गया, तो आगामी कोहरे के मौसम में दुर्घटनाओं का खतरा और बढ़ जाएगा।

बिहार की आईडी से क्लोनिंग कर ऑनलाइन सेंटर में आधार कार्ड बनाने पर प्रशासन की कार्यवाही

बलरामपुर, छ.ग. फ्रंटलाइन। नगर पंचायत कुसमी क्षेत्र में अमित ऑनलाइन सेंटर द्वारा आधार क्लोन के माध्यम से फर्जी आधार कार्ड तैयार किए जाने की सूचना पर प्रशासन ने त्वरित कार्रवाई की। प्राप्त शिकायत के बाद अनुविभागीय अधिकारी राजस्व श्री करूण डहरिया के निर्देशन में तहसीलदार कुसमी सुश्री रॉकी एक्का तथा जिला प्रबंधक सीएससी श्री निशांत सिन्हा की संयुक्त टीम ने संबंधित ऑनलाइन सेंटर की जांच की। जांच के दौरान पाया गया कि सेंटर संचालक अमित पैकरा द्वारा फर्जी तरीके से आधार क्लोन के माध्यम से आधार कार्ड बनाए जा रहे थे। इस गंभीर अनियमितता पर तहसीलदार सुश्री एक्का ने तत्काल कार्रवाई करते हुए सेंटर को सील कर दिया और आगे कार्रवाई शुरू की गई।

अनुविभागीय अधिकारी श्री करुण डहरिया ने कहा कि फर्जी दस्तावेजों की तैयारी या नागरिकों की व्यक्तिगत जानकारी से छेड़छाड़ करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी। साथ ही उन्होंने नागरिकों से अपील की है कि वे अपने आधार कार्ड या व्यक्तिगत जानकारी किसी भी संदिग्ध व्यक्ति या संस्था को न दें।

स्थानीय अवकाश में आंशिक संशोधन

बलरामपुर, छ.ग. फ्रंटलाइन। कलेक्टर बलरामपुर-रामानुजगंज द्वारा स्थानीय अवकाश में आंशिक संशोधन किया गया है। पूर्व में 21 नवम्बर को दीपावली का दूसरा दिन गोवर्धन पूजा के लिए स्थानीय अवकाश घोषित किया गया था। चूंकि राज्य शासन ने 21 नवम्बर 2025 को गोवर्धन पूजा के उपलक्ष्य में राज्य के लिए सार्वजनिक अवकाश घोषित किया है। घोषित स्थानीय अवकाश के स्थान पर अब कलेक्टर द्वारा 23 अक्टूबर 2025 को भाई दूज के अवसर पर स्थानीय अवकाश घोषित किया गया है।

कलेक्टर ने दी जिले वासियों को दीपावली पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं

बलरामपुर, छ.ग. फ्रंटलाइन। जिले में 20 अक्टूबर दीपावली मनाया जाएगा। इस अवसर पर जिला कलेक्टर राजेन्द्र कटारा ने जिले वासियों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं दी है। कलेक्टर ने अपने बधाई संदेश में कहा है कि दीपावली का पावन पर्व सभी जीवन में सुख, शांति और समृद्धि लेकर आए। रोशनी का यह पर्व सभी के जीवन को ज्ञान, ऊर्जा और आरोग्य से प्रकाशित करे। उन्होंने कहा कि यह उत्सव सभी जिले वासियों के घर-परिवार को खुशियों से रोशन करे और सभी के कार्य सफल हों। उन्होंने दीपावली के इस शुभ अवसर पर जिले वासियों से अपील की है कि स्थानीय बाजार, बिहान बाज़ार में पहुंचकर मिट्टी के दिये खरीद कर उनका उत्साहवर्धन करें। साथ ही उन्होंने मिट्टी के दीपकों का उपयोग करने और ध्वनि-वायु प्रदूषण से बचने के लिए परंपरागत, कम धुयें वाले ग्रीन पटाखों का उपयोग कर एक सुरक्षित और पर्यावरण-अनुकूल दीपावली मनाने की अपील की है।

कलेक्टर ने पटाखा विक्रेताओं से अपील की है कि वे प्रशासन द्वारा निर्धारित स्थल पर ही पटाखों की बिक्री करें तथा पटाखों को सुरक्षित स्थान पर, सभी मानकों का पालन करते हुए रखें, ताकि किसी प्रकार की आकस्मिक दुर्घटना या आगजनी की घटना से बचा जा सके। उन्होंने कहा कि दीपावली पर्व के दौरान बाजारों में भीड़ बढ़ जाती है, ऐसे में सावधानी और सतर्कता बरतना आवश्यक है। साथ ही बच्चों को पटाखों से दूर रहने की सलाह दी।

बीएमएस ने ठेका कर्मियों के बोनस हेतु बनाया दबाव

प्रतिनिधि छ.ग. फ्रंटलाइन

बिश्रामपुर। भारतीय मजदूर संघ के कोल प्रभारी के. लक्ष्मा रेड्डी के नेतृत्व में सीआईएल प्रबंधन के साथ बैठक गत दिनों हुई। ठेका श्रमिकों के पीएलआई-बोनस भुगतान में हो रही देरी को लेकर बीएमएस नेताओं ने नाराजगी जाहिर की। बैठक में कोल इंडिया चेयरमैन पीएम प्रसाद, निदेशक मानव संसाधन डॉ. विनय रंजन, ईडी एचआर गौतम बनर्जी सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे। बीएमएस नेताओं ने सीआईएल प्रबंधन से कहा कि ठेका श्रमिकों का बोनस भुगतान नहीं किया जा रहा है। इसको लेकर प्रबंधन पर दबाव बनाया गया। सीआईएल प्रबंधन ने तत्काल सभी अनुषांगिक कंपनियों को निर्देशित किया कि दिवाली के पूर्व ठेका कामगारों को पीएलआई- बोनस का भुगतान किया जाए। बताया जा रहा है कि प्रबंधन के निर्देश के बाद सहयोगी कंपनियों ने अपने क्षेत्रीय महाप्रबंधकों को बोनस भुगतान के लिए पत्र भेजना शुरू किया है। बैठक में कई और मुद्दों पर भी चर्चा होने की बात कही जा रही है। बैठक में अखिल भारतीय खदान मजदूर संघ के अध्यक्ष संजय चौधरी, महामंत्री सुजीत सिंह, संजय सिंह, अशोक मिश्रा, सुधीर घुरडे, सुस्मिता पटेल की मौजूदगी रही। बैठक में सभी भूमिगत खदानों में मैन राईडर, सभी खदानों में पीने के पानी की व्यवस्था, महिला एवं पुरूष कर्मियों के लिए अलग अलग शौचालय, भूमिगत खदानों में शौचालयों की व्यवस्था प्रदान की जाए। नियमित गैर अधिकारी कर्मियों की भर्ती किया जाए, नियमित कर्मचारियों की भागीदारी न्यूनतम 50 प्रतिशत किया जाए, कोल इंडिया, सिंगरेणी और नैवेली में कार्यरत सभी ठेका मजदूरों को एचपीसी वेजेस, सामाजिक सुरक्षा, चिकित्सा सुविधा, आवासीय व्यवस्था, जॉब सुरक्षा, सालाना बोनस, सीएमपीएफ भुगतान एवं अन्य सभी मूलभूत सुविधाओं का पुख्ता क्रियान्वयन, सुरक्षा नियमों के धड़ल्ले से हो रहे उल्लंघन पर रोक लगाते हुए सुरक्षा नियमों का शत-प्रतिशत पालन कराने, अंधाधुंध उत्पादन टारगेट से हो रहे प्रक्षण एवं असुरक्षित माइनिंग पर यथाशीघ्र अंकुश लगाने, सीएमपीएफ संगठन को सुचारित करने, कोल इंडिया और उसकी सभी अनुषांगिक कंपनी में एवं सिंगरेनी और नैवेली में मल्टी-स्पेशालिटी अस्पताल का निर्माण करने, सेवानिवृत्त कर्मियों के सीपीआरएमएस स्कीम में कैशलेस इलाज कराने व सभी सेवानिवृत्त कर्मियों को स्मार्ट कार्ड यथाशीघ्र प्रदान करने, कोल इंडिया के सभी अनुषांगिक कंपनी और सिंगारेणी एवं नैवेली कंपनी में एक जैसा सदस्यता सत्यापन, चेक ऑफ सिस्टम, आईआर प्रणाली करने, कोल इंडिया मुख्यालय में मानव संसाधन विभाग के प्रशासन और कोल इंडिया की कुछ अनुषांगिक कंपनी के प्रशासन में प्रक्षालन करते हुए कार्य कुशलता बढ़ाकर पक्षपाती रवैए को यथाशीघ्र बंद करने, रिस्ट्रिक्टेड सर्टिफिकेट धारक माइनिंग संवर्ग के गैर अधिकारी से अधिकारी वर्ग में पदोन्नति करने, कोल उद्योग में महिलाओं के लिए आवश्यक सुविधा उपलब्ध कराने, भूमि अधिग्रहण पॉलिसी में आवश्यक सुधार कराने जैसे अन्य कई बिंदुओं पर चर्चा कर मांग की गई।

राज्योत्सव की तैयारी हेतु कलेक्टर-एसपी ने ली बैठक

बलरामपुर, छ.ग. फ्रंटलाइन। रजत जयंती पर तीन दिवसीय राज्योत्सव का आयोजन जिला मुख्यालय में आयोजित किया जाएगा इन्हीं तैयारियों के लिए कलेक्टर श्री राजेंद्र कटारा की अध्यक्षता एवं पुलिस अधीक्षक श्री वैभव बैंकर रमनलाल की उपस्थिति में आयोजित बैठक में संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए। राज्योत्सव का कार्यक्रम हाई स्कूल ग्राउंड बलरामपुर में आयोजित किया जायेगा। जहां विभिन्न कार्यक्रम आयोजित होगी। कार्यक्रम में स्टॉल के माध्यम से जनकल्याणकारी योजनाओ की प्रदर्शनी लगाई जाएगी। साथ ही जिला बनने के यात्रा की उपलब्धियों को प्रदर्शित किया जाएगा। तीन

दिवसीय कार्यक्रम में विभिन्न सांस्कृतिक गतिविधियां आयोजित की जाएगी। स्कूली बच्चों के साथ स्थानीय कलाकारों को भी अपनी प्रतिभा दिखाने का मंच मिलेगा। कलेक्टर ने सभी विभाग प्रमुखों को कार्यक्रम का सुचारू एवं सुव्यवस्थित ढंग से संपन्न करने के निर्देश दिए। बैठक में जिला पंचायत सीईओ श्रीमती नयनतारा सिंह तोमर, संबंधित सभी अधिकारी उपस्थित थे।

कलेक्टर एवं पुलिस अधीक्षक ने राज्योत्सव के लिए हाई स्कूल ग्राउंड का किया भ्रमण

आगामी राज्योत्सव के सफल आयोजन की तैयारी को लेकर कलेक्टर श्री राजेन्द्र कटारा एवं पुलिस अधीक्षक श्री वैभव बैंकर रमनलाल ने बैठक पश्चात राज्योत्सव कार्यक्रम आयोजित होने वाले स्थल जिला मुख्यालय स्थित हाई स्कूल ग्राउंड का अवलोकन किया। उन्होंने कार्यक्रम स्थल पर मंच निर्माण, बैठक व्यवस्था, साज-सज्जा सजावट, पार्किंग व्यवस्था, सुरक्षा प्रबंध, पेयजल, प्रकाश व्यवस्था तथा अन्य व्यवस्थाओं के लिए आवश्यक निर्देश भी दिए। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को सभी तैयारियां निर्धारित समय में पूर्ण करने को कहा है।

रेण नदी में डूबे युवक का दूसरे दिन भी नहीं मिला सुराग

प्रतिनिधि छ.ग. फ्रंटलाइन

बिश्रामपुर। ग्राम पंचायत गोरखनाथपुर के फिल्टर प्लांट के पास स्थित रेण नदी में शुक्रवार को उस वक्त सनसनी का केंद्र बन गई जब यहां गुरुवार दोपहर से लापता युवक का दूसरा दिन भी कोई सुराग नहीं मिला।

बिश्रामपुर पुलिस ने बताया कि टूए कॉलोनी नर्सरीपारा निवासी 19 वर्षीय किशन यादव पिता राजकुमार यादव अपने तीन परिचितों क्रमशः संजय यादव, पुनीत यादव और तारक दास के साथ गुरुवार दोपहर निकला था। चारों लोग फिल्टर प्लांट के रेण नदी किनारे पहुंचे और वहीं बैठकर शराब का सेवन किया। पुलिस ने बताया कि नशे में धुत्त युवकों ने मस्ती के मूड में नदी को तैरकर पार करने का फैसला किया और सूरजपुर की ओर निकल पड़े। मगर जब वे वापस लौटने लगे तो किशन यादव नदी की डूब गया। रात होते-होते साथियों ने किसी तरह घटना की जानकारी पुलिस को दी। देर रात बिश्रामपुर पुलिस को मामले की सूचना मिली, जिसके बाद शुक्रवार सुबह सूरजपुर एसडीआरएफ टीम मौके पर पहुंची और रेस्क्यू अभियान शुरू किया। घंटों चली खोजबीन के बावजूद किशन यादव का कोई पता नहीं चल सका है। देर शाम रेस्क्यू कार्य को बंद कर दिया गया है और अब शनिवार को एक बार फिर से एसडीआरएफ टीम द्वारा नदी में गहराई तक सर्च ऑपरेशन चलाने की बात कही जा रही है। घटना के बाद नर्सरीपारा क्षेत्र में मातम पसरा हुआ है। परिजन और स्थानीय लोग नदी किनारे डटे रहे। स्थानीय लोगों का कहना है कि रेण नदी में इस तरह की घटनाएं पहले भी हो चुकी हैं। बरसात के बाद नदी का जलस्तर गहरा और धारा तेज हो जाती है, बावजूद इसके लोग लापरवाही से यहां नहाने या तैरने चले आते हैं। पुलिस ने आह्वान किया है कि कोई भी व्यक्ति शराब सेवन के बाद नदी या किसी जलाशय के समीप न जाएं। वहीं कुछ लोगों द्वारा यह भी आशंका जताई जा रही है कि युवक किशन यादव नदी में डूबा है, यह भी स्पष्ट नहीं हो पाया है। मामले में पुलिस द्वारा जांच की जा रही है।

पदोन्नति उपरांत शिक्षिका को दी गई भावभीनी विदाई

प्रतिनिधि छ.ग. फ्रंटलाइन

बिश्रामपुर। शासकीय पूर्व माध्यमिक विद्यालय कुंजनगर की शिक्षिका लक्ष्मी सिंह के व्याख्याता पद पर पदोन्नत होने उपरांत शाला परिवार द्वारा शिक्षिका को भावभीनी विदाई दी गई। गौरतलब है कि शिक्षिका लक्ष्मी सिंह राठौर ने अपने कार्यकाल के दौरान विद्यालय में शैक्षणिक अनुशासन, बालिका शिक्षा, तथा नवाचारपूर्ण शिक्षण विधियों के माध्यम व सामुदायिक सहभागिता से विद्यार्थियों में सीखने की गहरी रुचि उत्पन्न की। पदोन्नति प्राप्त होने पर उन्होंने अपनी खुशी विद्यार्थियों के साथ साझा करते हुए कक्षा छठवीं, सातवीं और आठवीं कक्षा के लिए दीवार घड़ी भेंट की। शिक्षिका लक्ष्मी सिंह राठौर ने कहा कि यह उपहार केवल प्रतीकात्मक नहीं, बल्कि विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास से जुड़ा शैक्षणिक संदेश है। इसका उद्देश्य बच्चों में समय प्रबंधन की आदत विकसित करने के साथ ही गणितीय अवधारणाओं जैसे संख्या पहचान, 5 के गुणांक से गिनना और समझ को व्यावहारिक रूप से मजबूत करना है।

कार्यक्रम में उपस्थित शिक्षकों ने शिक्षिका लक्ष्मी सिंह राठौर के कार्यों की सराहना करते हुए कहा कि उन्होंने सदैव विद्यालय के उत्थान, विद्यार्थियों की प्रगति और अनुशासन के लिए कार्य किया। उनके योगदान को विद्यालय सदैव याद रखेगा। इस अवसर पर विद्यालय में एक नई शैक्षणिक पहल की शुरुआत कर प्रधानपाठक पार्वती सरुता के मार्गदर्शन में सभी शिक्षकों के सहयोग से विद्यालय के लिए प्रोजेक्टर क्रय किया गया। प्रोजेक्टर के माध्यम से शिक्षक अब विभिन्न प्रकार की दृश्य सामग्रियां जैसे वीडियो, चित्र और प्रस्तुति दिखा सकेंगे, जिससे छात्रों को अवधारणा को बेहतर ढंग से समझने में सहायता मिलेगी। इस कार्य में विद्यालय के शिक्षक मेरिग्रेस टोप्पो, विद्यावती सिंह, देवती सिंह, लक्ष्मी सिंह राठौर एवं त्रिवेणी प्रसाद राम का योगदान रहा। प्रधान पाठिका द्वारा माध्यमिक व प्राथमिक शाला के सभी शिक्षकों को शॉल देकर उनके कार्यों की सराहना की।प्रधानपाठिका पार्वती सरुता ने कहा कि विद्यालय परिवार का यह सामूहिक प्रयास बच्चों के उज्ज्वल भविष्य की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

श्री गणेशाय नमः

धनतेरस दिपावली की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं

परशु आभूषण भण्डार

निगम कॉम्प्लेक्स के सामने गुदरी बाजार रोड अंबिकापुर सरगुजा हॉलमार्क सोने एवं चांदी के आभूषणों के निर्माता एवं विक्रेता हमारे प्रतिष्ठान में धनतेरस के शुभ अवसर पर सोने चाँदी के आभूषण लक्ष्मी गणेश की मुर्ती चॉदी के बर्तन पुराना सिक्का लक्ष्मी गणेश के सिक्के चॉदी एवं सोने के सिक्के राशि रत्न विशाल रेंज में उपलब्ध है।

आपका अपना प्रतिष्ठान इस वर्ष आप लोगों के लिए लकी ड्रा के जरिए पुरस्कार लेकर उपस्थित है

शुभारंभ 22/9/2025 नवरात्रि का प्रथम दिवस से शुरू हुआ यह योजना अगले 1 साल तक चलेगी इसका लकी ड्रॉ अगले नवरात्रि के प्रथम दिवस पर खुलेगा

प्रथम पुरस्कार। - फोर व्हीलर कार
द्वितीय पुरस्कार - स्कूटी (3)
तृतीय पुरस्कार - फ्रिज (5) एवं वाशिंग मशीन (5)
चौथा पुरस्कार - मिक्सी (50)
500 गिफ्ट हैंपर्स ग्राहकों को दिए जाएंगे

शुद्धता की पूर्ण गारंटी 100% hallmark
आपका विश्वास ही हमारी पूंजी

18 अक्टूबर 2025 से 21 अक्टूबर 2025 तक सोने चांदी के जेवर खरीदी पर मजदूरी में 25% का डिस्काउंट दिया जाएगा

प्रोपराइटर..........................

SMT. SUNITA SONI

SHRI ANSHUL SONI

SHRI PARSHURAM SONI

In case of conflict, the words of the proprietor will be considered as final.
In case of any legal dispute, the jurisdiction will lie with Ambikapur Court.

सम्पादकीय

अफगानिस्तान पर बार-बार हमले क्यों कर रहा पाक

अफगानी विदेश मंत्री आमिर खान मुत्ताकी के भारत दौरे से पाकिस्तान पूरी तरह से बौखलाया हुआ है। झल्लाहट के हालात ये हैं कि उसने एक सप्ताह में लगातार दूसरी बार अफगानिस्तान पर हवाई हमला कर दिया है। हालांकि पाकिस्तान कह रहा है कि वो तालिबान के लड़ाकों पर हमले कर रहा है, जो लगातार पाकिस्तान में आतंकी हमलों को अंजाम दे रहे हैं। बुधवार को पाकिस्तानी लड़ाकू विमानों ने राजधानी काबुल के तैमानी और स्पिन बोल्डक जिले के सिविलियन इलाके पर बमबारी की है। हमले से जुड़े कई वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुए हैं। दावा किया जा रहा है कि इन हमलों में कंधार प्रांत में तालिबान की चौथी बटालियन और छठी बॉर्डर ब्रिगेड पूरी तरह तबाह हो गई है। कई तालिबान लड़ाके और विदेशी लोग मारे गए। इससे पहले पाकिस्तान सुरक्षा बलों और अफगान तालिबान के बीच मंगलवार रात को झड़पें हुई थीं। इसके बाद आज सुबह पाकिस्तानी सेना ने कंधार के स्पिन बोल्डक इलाके में हमला किया। इस हमले में 12 आम लोग मारे गए और 100 से ज्यादा लोग घायल हो गए। इसके बाद अफगानिस्तान ने पाकिस्तान बॉर्डर पर टैंक भेज दिए हैं, जिसके चलते नए युद्ध की आशंका पैदा हो गई है। जिस तालिबान को निशाना बनाकर पाक सेना हमले कर रही है, असल में वो तालिबान 1990 के दशक में एक छोटा समूह था, जो धार्मिक छात्रों से बना था, तालिबान के नाम का अर्थ ही होता है छात्रों का समूह। साल 2021 में तालिबान ने अफगानिस्तान पर फिर कब्जा कर लिया था और तब से ही तालिबान एक राष्ट्रीय सेना बनाने की कोशिश कर रहा है। पहले उनकी ताकत सिर्फ लड़ाकों की थी, लेकिन अब वे एक संगठित फौज की तरह काम करते हैं। भले ही इस देश की सेना में सैनिकों की संख्या कम है लेकिन उनकी दृढ़ इच्छाशक्ति और संगठित रहना ही उसे अफगानिस्तान में मजबूत बनाती है। वैश्विक दबाव के कारण भले ही तालिबान की सेना आर्थिक रूप से कमजोर है, लेकिन ग्लोबल पावर इंडेक्स 2025 बताता है कि उनकी रैंकिंग कम है, लेकिन स्थानीय युद्ध में वे खतरनाक हैं। ये वही सेना है जिसने अमेरिका जैसी महाशक्ति को अफगानिस्तान में पांव नहीं जमाने दिए। अब तो उनके समर्थन में अफगानिस्तान में टीटीपी के दो गुटों ने पाकिस्तान के खिलाफ एक होने की घोषणा कर दी है। तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान ने घोषणा की है कि इसके दो समूह एक हो रहे हैं। इनमें से एक का नेतृत्व कुर्रम जिले के मुफ्ती अब्दुर रहमान कर रहे हैं, और दूसरा खैबर जिले की तिराह घाटी के कमांडर शेर खान हैं। इन दोनों कमांडरों ने टीटीपी की तरफ वफादारी की कसम खाई है। जो पाकिस्तान के लिए बड़ा सिर दर्द बन सकते हैं। असल में अफगान विदेश मंत्री के भारत दौरे के बाद से ही पाक बौखलाया हुआ है। उसे लग रहा है कि भारत-अफगानिस्तान की दोस्ती पाकिस्तान के लिए परेशानी का कारण हो सकती है। अफगान विदेश मंत्री के इस बयान कि वो अपने देश की जमीन का इस्तेमाल भारत के खिलाफ आतंकवाद के लिए नहीं होने देंगे। इस बयान के बाद पाक की हड़बड़ाहट का आलम ये था कि पाक पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने तो यहां तक कह दिया कि अफगानिस्तान, भारत का पुराना वफादार है। बस इसी के बाद से पाक अफगानिस्तान में हमले कर रहा है। कभी बहाना टीटीपी है तो तालिबान। बहाना जो भी पाकिस्तान के लिए यह अच्छा नहीं होगा। अगर तालिबान अपनी पर आए तो पाक की ईंट से ईंट बजा देंगे।

संवाद ही लोकतंत्र की आत्मा है

विचार

डॉ . संजय शुक्ला

भारतीय लोकतंत्र को दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र कहा जाता है 75 बरस पुराने इस लोकतंत्र ने देश के राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक योगदान में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। भारत के राजनीतिक इतिहास पर गौर करें तो पचहत्तर बरस के इस यात्रा के दौर में लोकतंत्र ने संसद से लेकर सड़क तक सहमति और असहमति के अनेक आयाम देखे हैं। आज जब भारतीय उपमहाद्वीप में श्रीलंका, बांग्लादेश, पाकिस्तान और नेपाल जैसे देशों का लोकतंत्र भीड़तंत्र के अराजकता की भेंट चढ़ चुकी है तब भारतीय लोकतंत्र मजबूत और जनोन्मुखी बना हुआ है।किसी भी लोकतांत्रिक देश में सरकार के खिलाफ आंदोलन और विरोध प्रदर्शन एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। सरकार से असहमति की आवाज व्यवस्था की जड़ता को खत्म करता है। देश के राजनीतिक दलों, सत्ताधीशों और आम नागरिकों को यह बात जेहन में रखनी होगी कि देश को 'बरतानिया हुकूमत' से आंदोलन के जरिए ही मिली थी। वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य पर गौर करें तो सत्ता और आंदोलन के बीच टकराव और संवादहीनता लगातार बढ़ रहा है। दोनों पक्षों में टकराव के चलते जहां आंदोलन का स्वरूप हिंसक होने लगा है वहीं सत्ता प्रतिष्ठान भी आंदोलनों को ऐन-केन प्रकारेण खत्म करने की जुगत में है। अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ महात्मा गांधी के सत्याग्रह के मूल में जहां सत्य और अहिंसा की राह थी वहीं उन्होंने असहयोग आंदोलन के दौरान संवाद के दरवाजे हमेशा खुले रखे। गांधी मानते थे कि कि संवाद एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें सच्चाई, प्रेम और परस्पर सम्मान होता है। संवाद एक समावेशी प्रक्रिया है जहां विभिन्न पक्षों के बीच विचारों का आदान-प्रदान होता है न कि केवल बहस। गांधी की सोच थी कि संवाद विविधता का सम्मान करता है, सहानुभूति को बढ़ावा देता है और नये संबंधों को विकसित करता है।

देश के वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य पर गौर करें तो सत्ता और विपक्ष के बीच 'संवाद' का सेतु टूटते हुए नजर आ रहा है जो लोकतंत्र के लिए शुभ संकेत नहीं है। मजबूत लोकतंत्र के लिए मजबूत विपक्ष भी जरूरी है जो संसद में सत्ता के खिलाफ आम जनता की आवाज को मुखर करता है। संसद के बीते सत्रों पर गौर करें तो सत्ता और विपक्ष के टकराव और हंगामे की वजह से संसद की कार्रवाई अनुत्पादक ही रही है। सत्ता और विपक्ष के नेताओं के बीच आज वैचारिक 'मतभेद' की जगह वैमनस्यता पूर्ण 'मनभेद' का भाव उत्पन्न हो चुका है। बीते एक दशक पर गौर करें तो 'एनआरसी' और 'किसान आंदोलन' सहित कुछ आंदोलनों के दौरान सत्ता और आंदोलनकारियों के बीच टकराव के चलते जहां आंदोलन की दिशा हिंसक हुई है वहीं पुलिस कार्रवाई में प्रदर्शनकारियों की मौतें भी हुई है जो दुखद है। बीते 24 सितंबर को लद्दाख में जाने-माने एक्टिविस्ट, शिक्षाविद और पर्यावरण कार्यकर्ता सोनम वांगचुक के चार सूत्रीय मांगों को लेकर 35 दिनों के भूख हड़ताल के दौरान पंद्रहवें दिन उनका आंदोलन हिंसक हो गया। हिंसक प्रदर्शनकारियों ने जहां भाजपा कार्यालय में आगजनी की वहीं पुलिस कार्रवाई में चार लोगों की मौत हो गई घटना के बाद वांगचुक को गिरफ्तार किया गया है।अलबत्ता देश में राजनीतिक और गैर राजनीतिक आंदोलनों के दौरान पैदा हो रही हिंसा और गतिरोध के लिए सत्ता और आंदोलनकारी नेता दोनों पक्षों की हठधर्मिता ही जवाबदेह हैं।

गौरतलब है कि भारत युवाओं के जनसंख्या के लिहाज से दुनिया का सबसे युवा देश है जहां की 65 फीसदी आबादी 35 साल से कम आयु के लोगों की है। दरअसल युवा ही किसी देश के सबसे बड़े कार्यबल यानि " वर्क फोर्स" होते हैं जिनके कंधों पर देश और समाज का राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक बदलाव निर्भर होता है। आज के युवाओं के लिए सोशल बड़ा औजार है जिसके जरिए वे अपनी आवाज देश और दुनिया तक पहुंचा रहे हैं। सोशल मीडिया की इसी ताकत का इस्तेमाल करते हुए देश के कुछ विपक्षी नेता, पत्रकार और पार्टी के आईटी सेल लद्दाख में हुए युवाओं के प्रदर्शन की तुलना नेपाल की खूनी 'जेन-जी' प्रदर्शन से करते दिखाई दिए। विडंबना है कि देश का एक वैचारिक समूह श्रीलंका, बांग्लादेश और नेपाल में हिंसा के जरिए सत्ता के तख्तापलट को उचित ठहराने से नहीं चूक रहा है बल्कि अपने विचारों के जरिए भारतीय युवाओं को इसके लिए उकसा रहा है लेकिन यह भारत में संभव नहीं है।

विचारणीय है कि भारत जैसे बहुधर्मी, बहुजातीय और बहुसंस्कृति और परंपरा वाले देश में असहमति या विरोध की अभिव्यक्ति हिंसा नहीं बल्कि चुनाव ही है। आजादी के बाद देश में जंगल और पर्यावरण संरक्षण , रोजगार, आरक्षण किसानों से संबंधित मांग, अलग राज्य निर्माण, स्वायत्तता की मांग, भ्रष्टाचार तथा अपराध के खिलाफ अनेक राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक, जातीय और अलगाववादी आंदोलन हुए। इन आंदोलनों में छात्रों, युवाओं, किसानों और आम नागरिकों की भागीदारी रही। बेशक इन जनांदोलनों ने सत्ता की चूलें हिला दीं लेकिन सत्ता का बदलाव हिंसा नहीं बल्कि 'बैलेट' यानि चुनाव के जरिए ही संभव हुआ। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि प्रजातंत्र में किसी भी राजनीतिक समस्या और सामाजिक न्याय का रास्ता 'बुलेट' यानि हिंसा नहीं बल्कि 'संवाद' और 'बैलेट' है। दूसरी ओर सत्ता प्रतिष्ठान को भी यह बात गांठ बांधनी होगी कि युवाओं और आंदोलनों के सवाल पर संवाद तथा समाधान का रास्ता अपनाए न कि कोई दमनात्मक कार्रवाई करे।

कालांतर में देश में अनेक गांधीवादी अहिंसक आंदोलन हुए हैं जिनमें जयप्रकाश नारायण की 'संपूर्ण क्रांति' अन्ना हजारे की 'अन्ना आंदोलन' और 'निर्भया आंदोलन' प्रमुख थे। इन आंदोलनों ने देश का राजनीतिक भूगोल बदल दिया। कुछ उग्रवादी समूहों के चरमपंथी आंदोलन भी हुए जिसमें व्यापक हिंसा हुई लेकिन इन आंदोलनों और समस्याओं का हल संवाद के जरिए ही संभव हुआ। विचारणीय है कि आंदोलनकारियों ने जब - जब संवाद की जगह बंदूक उठाया है तब-तब सुरक्षाबलों ने इसका मुंहतोड़ जवाब भी दिया है। वर्तमान में सशस्त्र माओवादी आंदोलन शांति, विकास और लोकतंत्र के लिए खतरा बना हुआ है। पूर्ववर्ती सरकारों ने माओवादियों से हिंसा छोड़कर संवाद और लोकतंत्र का हिस्सा बनने अनेकों बार पहल किया लेकिन नक्सली बंदूक और हिंसा छोड़ने सहमत ही नहीं थे ।अंततोगत्वा वर्तमान केन्द्र और राज्य सरकार ने छत्तीसगढ़ सहित पूरे देश में नक्सलवाद को समूल नष्ट करने के लिए माओवादियों के खिलाफ सीधी कार्रवाई को अंजाम दिया है जिसमें सुरक्षा बलों को काफी सफलता मिल रही है तथा नक्सलवाद के पैर उखड़ने लगे हैं।

देश में हुए आंदोलनों के इतिहास के पन्ने पलटें तो पंजाब के खालिस्तान आंदोलन, असम का छात्र और उल्फा आंदोलन, पूर्वोत्तर भारत के बोडो आंदोलन, दार्जिलिंग का गोरखालैंड जैसे हिंसक आंदोलन का खात्मा सरकार और आंदोलकारियों के बीच संवाद और समझौते से ही हुई है। केंद्र सरकार और कश्मीरी आवाम के बीच बढ़ते संवाद और भरोसे का ही परिणाम है कि अब पाक समर्थित अलगाववादी संगठनों के आतंकी हिंसा में भारी कमी आई है तथा घाटी में शांति और लोकतंत्र की बयार बह रही है।बहरहाल लोकतांत्रिक व्यवस्था में किसी भी पक्ष के लिए हिंसा, अराजकता, हठधर्मिता, टकराव और जड़ता के लिए कोई स्थान नहीं है। प्रजातंत्र में जनआंदोलन ही जनता की आवाज है और यह उसका नागरिक अधिकार भी है। प्रसिद्ध गांधीवादी और समाजवादी नेता डॉ.राममनोहर लोहिया का भी विचार था कि 'अगर सड़कें खामोश हो जाएं तो संसद आवारा हो जाएगी'। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि देश के मजदूरों और ग्रामीणों के हाथों काम, भूखे पेट में भोजन, सरकार से जानने का हक,नदियों और जंगलों की रक्षा,आदिवासियों और दलितों के मौलिक अधिकारों की रक्षा जनांदोलनों से ही संभव हुआ है। अलबत्ता 75 बरस बूढ़े लोकतंत्र की जीवंतता के लिए सरकार और जनता दोनों को हठधर्मिता और नकारात्मकता त्याग कर 'संवाद' का दरवाजा हमेशा खुला रखना होगा क्योंकि संवाद ही लोकतंत्र की आत्मा है।

(ये लेखक के अपने विचार हैं।)

अपने भीतर अच्छा स्वास्थ्य कैसे लाएं?

संकलित

दर्शन

क्या आप सचमुच स्वस्थ हैं? स्वास्थ्य का अर्थ है, रोग-मुक्त शरीर, कंपन-मुक्त श्वास, तनाव-मुक्त मन, संकोच-मुक्त बुद्धि, आसक्ति-मुक्त स्मृति, समावेशी अहंकार और दुःख से मुक्त आत्मा। समग्र स्वास्थ्य के लिए व्यायाम, श्वास और ध्यान का अभ्यास आवश्यक है। श्वास ही जीवन है। हमारा जीवन हमारी श्वास में है। यदि कोई श्वास नहीं ले रहा, तो इसका अर्थ है- वहां जीवन नहीं है। ध्यान, प्राणायाम और योगिक अभ्यासों का मुख्य उद्देश्य प्राण या जीवन ऊर्जा को बढ़ाना है। दरअसल प्राण भावनाओं से भी अधिक सूक्ष्म होता है। जब हम सूक्ष्म स्तर पर ध्यान देते हैं, तो स्थूल स्वतः ठीक हो जाता है। जब आप श्वास को संभालते हैं, तो शरीर स्वस्थ हो जाता है। यदि आपकी श्वास गरम, हिलती-डुलती, असमान या असहज है, तो यह रोग का संकेत है। श्वास का पैटर्न शरीर में उपस्थित विषाक्त तत्त्वों और संभावित रोगों की सूचना देता है। हमारी श्वास में अनेक रहस्य छिपे हैं। क्योंकि मन की हर भावना के साथ श्वास की एक विशेष लय जुड़ी होती है। हर लय शरीर के किसी विशेष भाग को प्रभावित करती है। जरा ध्यान से देखें। जब हम प्रसन्न होते हैं तो विस्तार का अनुभव होता है और जब दुखी होते हैं तो संकुचन का। हम इन अनुभूतियों को तो महसूस करते हैं, पर उनके बीच संबंध को नहीं पहचानते। इसलिए जब आप सीधे मन को नियंत्रित नहीं कर पा रहे हों, तो श्वास के माध्यम से मन को नियंत्रित किया जा सकता है।

कर्ण की युद्ध में धर्म-नीति निष्ठा

संकलित

प्रेरणा

कर्ण कौरवों की सेना में होते हुए भी महान धर्मनिष्ठ योद्धा थे। भगवान श्रीकृष्ण तक उनकी प्रशंसा करते थे। महाभारत युद्ध में कर्ण ने अर्जुन को मार गिराने की प्रतिज्ञा की थी। उसे सफल बनाने के लिए खंडव वन के महासर्प अश्वसेन ने इसे उपयुक्त अवसर समझा। अर्जुन से वह शत्रुता तो रखता था, पर काटने का अवसर नहीं मिलता था। वह बाण बनकर कर्ण के तरकस में जा घुसा। अश्वसेन वाला बाण भी चला, लेकिन भगवान श्रीकृष्ण ने वस्तुस्थिति को समझा और रथ-घोड़े जमीन पर बिठा दिए। बाण मुकुट काटता हुआ ऊपर से निकल गया। असफलता पर अश्वसेन प्रकट हुआ और कर्ण से बोलाः अबकी बार अधिक सावधानी से बाण चलाना। इस पर कर्ण को भारी आश्चर्य हुआ। उसने उस कालसर्प से पूछाः आप कौन हैं? सर्प ने कहाः अर्जुन ने एक बार खण्डव वन में आग लगाकर मेरे परिवार को मार दिया था। इसलिए उसीका प्रतिशोध लेने के लिए मैं व्याकुल रहता हूँ। उस तक पहुँचने का अवसर न मिलने पर आपके तरकस में बाण के रूप में आया हूँ। कर्ण ने उसकी सहायता के प्रति कृतज्ञता प्रकट करते हुए वापस लौट जाने के लिए कहाः भद्र, मुझे अपने ही पुरुषार्थ से नीति युद्ध लड़ने दीजिए। आपकी अनीतियुक्त सहायता लेकर जीतने से तो हारना अच्छा है। कालसर्प कर्ण की नीति-निष्ठा को सराहता हुआ वापस लौट गया। उसने कहाः कर्ण तुम्हारी यह धर्मनिष्ठा ही सत्य है, जिसमे अनीतियुक्त पूर्वाग्रह को छद्म की कहीं स्थान नहीं।

संघ शताब्दी वर्ष

डा . मार्कन्डेय आहूजा

ऐसी अक्षय ध्येयनिष्ठा को ईश्वर भी अनदेखा नहीं कर सकता

तदन्तः स्फुरत्वक्षया ध्येयनिष्ठा" वाक्य में दार्शनिक, आध्यात्मिक, मनोवैज्ञानिक एवं साधनात्मक गहराई है, और जब इसे भगवद् गीता के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए, तो यह योग, ध्यान, और आत्मनिष्ठा के सार को प्रकट करता है। तद्-अन्तः - उस (ईश्वर, सत्य या ब्रह्म) के भीतर; स्फुरत् - चमकने वाला, प्रकाशित अक्षया - अविनाशी, क्षय-रहित ध्येयनिष्ठा - ध्यान का दृढ़ आधार, एकनिष्ठ ध्यान। भगवद् गीता में यह भाव विशेष रूप से कई श्लोकों से जुड़ता है जैसे तस्मात्सर्वेषु कालेषु मामनुस्मर युध्य च।"अध्याय 8, श्लोक 7) "इसलिए, हे अर्जुन! हर समय मेरा स्मरण करते हुए युद्ध कर।" यहाँ भगवान श्रीकृष्ण यह बताते हैं कि जीवन का हर कर्म ईश्वरनिष्ठ ध्यान में परिवर्तित हो सकता है, यदि मन के भीतर वह अक्षय ध्येय अर्थात् ईश्वर निरंतर स्फुरित रहे। जब मन संसार के नाशवान विषयों में उलझता है, तब उसकी शक्ति क्षीण होती है पर जब ध्यान का केंद्र अक्षय तत्व आत्मा या परमात्मा बनता है, तब वह शक्ति स्फुरित हो उठती है। इस अवस्था में व्यक्ति ध्येयनिष्ठ कहलाता है यानि जिसका ध्यान अडिग और अचल है। कुरुक्षेत्र में अर्जुन जब मोह में था, तब उसका ध्यान नाशवान रिश्तों और परिणामों पर था। पर जब कृष्ण ने उसे गीता का उपदेश दिया ,"मांनुस्मर युध्य च" तब उसके भीतर वही 'तदन्तः स्फुरत्वक्षया ध्येयनिष्ठा' जागी। उसने कृष्ण में ही सब कुछ देखना शुरू किया, तब युद्ध भी साधना बन गया। अब वह भीतर से प्रकाशित हो चुका था, जैसे सूर्य बादलों को चीरकर स्वयं प्रकट होता है। मीरा बाई का जीवन इसका जीवंत उदाहरण है। जब समस्त संसार ने उन्हें ठुकराया, तो उनके भीतर केवल एक ही स्फुरण शेष था "श्याम मेरा एको ध्येय।" उनकी ध्येयनिष्ठा इतनी अक्षय थी कि विष का प्याला भी अमृत बन गया। यह वही अवस्था है जहां भीतर अविनाशी चेतना का प्रकाश हर पीड़ा से तुच्छ है जैसे कोई वैज्ञानिक वर्षों तक एक सिद्धांत पर ध्यान लगाता है, वह बाहरी सफलता या असफलता से नहीं डगमगाता क्योंकि उसके भीतर ध्येय की अक्षय ज्योति जलती रहती है। जब वह ज्योति स्फुरित रहती है, तो बाहरी बाधाएं अर्थहीन हो जाती हैं। यह भी एक रूप है ध्येयनिष्ठा का। राजा जनक योगी भी थे और राजा भी। उनके महल में वैभव था, पर भीतर एकाग्रता अक्षय थी। जब किसी ने पूछा, "राजकाज में लिप्त होकर भी आप योगी कैसे हैं?" जनक ने कहा ,"मेरे कर्म बाहर हैं, पर मेरा ध्यान भीतर है। मैं कर्म नहीं करता, कर्म मुझमें होता है।" यही ध्येय-निष्ठा का अक्षय रूप है। आज भी यह सूत्र अत्यंत प्रासंगिक है। हम चाहे काम में हों, परिवार में हों, संघर्ष में हों -यदि भीतर एक स्थायी ज्योति, एक शांत ध्येय स्फुरित है, तो जीवन साधना बन जाता है। जैसे कोई डॉक्टर अपनी सेवा में ईश्वर को देखे। कोई शिक्षक हर छात्र में चेतना का विस्तार देखे। कोई कलाकार हर रचना में सत्य की झलक खोजे। तब वे कर्म नहीं करते, बल्कि "ध्येय की निष्ठा" में रहते हैं।उनका ध्यान अक्षय हो जाता है। "ध्येय में स्फुरण" के वैज्ञानिक रूप डॉ. ए. पी. जे. अब्दुल कलाम ने कहा "सपना वह नहीं जो तुम नींद में देखते हो,सपना वह है जो तुम्हें सोने नहीं देता।" कलाम का जीवन "तदन्तः स्फुरत्वक्षया ध्येयनिष्ठा" का आधुनिक प्रतिरूप है।उनके भीतर विज्ञान और राष्ट्रसेवा का एक अविनाशी ध्येय स्फुरित था। कठिन परिस्थितियों, असफलताओं, सीमित साधनों के बावजूद उनका ध्यान 'भारत को आत्मनिर्भर बनाना' था। वे बार-बार असफल हुए, पर उनकी निष्ठा कभी क्षीण नहीं हुई ; वह अक्षय थी। गीता का समान भावः योगस्थः कुरु कर्माणि, संगं त्यक्त्वा धनंजय।" कर्म करो, पर सफलता-असफलता से आसक्त मत हो। कलाम का विज्ञान उसी कर्मयोग का उदाहरण है। वैज्ञानिक स्टीफन हॉकिंग की देह लगभग निष्क्रिय हो गई थी, पर उनके भीतर ज्ञान का प्रकाश स्फुरित था। वह अक्षय था वह मनोबल ही उन्हें "ब्लैक होल्स " के रहस्य तक ले गया। उन्होंने कहा ,"मेरा शरीर सीमित है,लेकिन मेरा मन सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड की कल्पना करने के लिए स्वतंत्र है।" यह वही अवस्था है जहाँ भीतर की चेतना बाहरी सीमाओं पर विजय पाती है। 'ध्येयनिष्ठ' वैज्ञानिक डॉ. होमी जे. भाभा और डॉ. विक्रम साराभाई भारत के वैज्ञानिक पुनर्जागरण के प्रतीक हैं। सीमित संसाधन, विदेशी दबावों, और आलोचना के बावजूद उन्होंने भारत को अंतरिक्ष और परमाणु शक्ति के मार्ग पर स्थापित किया। उनका ध्येय केवल "तकनीक" नहीं था बल्कि "राष्ट्र की आत्मनिर्भर चेतना।" गीता में कहा है "यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति।" जो मुझे हर जगह देखता है, उसका ध्यान कभी नष्ट नहीं होता। गीता मनीषी स्वामी ज्ञानानंद का कहना है कि जब ध्यान न किया जाए, बल्कि ध्यान "होने लगे" वही है : तदन्तः स्फुरत्वक्षया ध्येयनिष्ठा।

(लेखक चिकित्सक एवं शिक्षाविद हैं, ये उनके अपने विचार हैं।)

अंतर्मन

आज की पाती

आत्मनिर्भर भारत के प्रथम द्रष्टा डा. कलाम

हर साल 15 अक्टूबर को मनाया जाने वाला विश्व विद्यार्थी दिवस केवल डा. एपीजे अब्दुल कलाम की जयंती नहीं है, बल्कि यह दिन हर विद्यार्थी और नागरिक के लिए आत्ममंथन का अवसर है। डा. कलाम का जीवन इस बात का प्रमाण है कि कोई भी शुरुआत छोटी नहीं होती, अगर उसमें सपनों की आग और समर्पण की ठंडक हो। रामेश्वरम की एक साधारण गलियों में अख़बार बेचने वाला बालक जब भारत का मिसाइल मैन और बाद में देश का राष्ट्रपति बना, तो उसने न केवल सफलता की परिभाषा बदली, बल्कि यह सिखाया कि सच्ची शिक्षा वह है जो इनसान को बेहतर इनसान बनाती है। वह आत्मनिर्भर भारत के प्रथम द्रष्टा थे। वह विनम्रता, ईमानदारी और कर्त्तव्य के प्रति समर्पण के लिए जाने जाते हैं। *- प्रदीप साहू, दुर्ग*

ट्रेंड

जैसलमेर बस हादसा

जैसलमेर में बस में लगी आग की घटना अत्यंत हृदयविदारक है। इस दुखद हादसे से प्रभावित नागरिकों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करता हूं। राज्य सरकार प्रभावित परिवारों के साथ है और उन्हें हर संभव सहयोग प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है।

-भजनलाल शर्मा, सीएम, राजस्थान

क़ानून का उल्लंघन

क़ानून का उल्लंघन जब अधिकारी करेंगे तो अधिकारियों और उन अपराधियों में क्या अंतर रह जाएगा जो क़ानून तोड़ते हैं। शासन-प्रशासन विधि पर आधारित होना चाहिए किसी की मनमानी पर नहीं। भाजपा ने भ्रष्टाचारीकरण करके, प्रशासन को निरंकुश बना दिया है।

-अखिलेश यादव, सांसद, सपा

केदारनाथ धाम की चढ़ाई

केदारनाथ धाम की कठिन चढ़ाई अब आसान होगी। अदाणी समूह श्रद्धालुओं की यात्रा को सरल और सुरक्षित बनाने के लिए यह रोपवे बना रहा है। इस पुण्य कार्य का हिस्सा बनना हमारे लिए गर्व की बात है। महादेव सब पर अपनी कृपा बनाए रखें।

- गौतम अदाणी, उद्यमी

ब्रह्मांड की प्रतिक्रिया

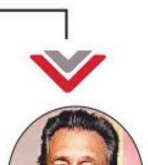

आप जो करते हैं और जो किया जाता है, उसके बीच एक पूरा ब्रह्मांड है। उस ब्रह्मांड में जुनून, इरादा...हृदय... निहित है, क्योंकि ब्रह्मांड हृदय के प्रति, आपके मन की तुलना में कहीं अधिक प्रतिक्रिया करता है।

- शेखर कपूर, फिल्मकार

करंट अफेयर

दुबई में मसालों से सबसे बड़ी रंगोली बनाई गई

संस्कृति और सामुदायिक भावना का जीवंत संगम पेश करते हुए दुबई के एक बाजार में मसालों से ऐसी रंगोली बनाई गई जिसे खाड़ी देश में 'सबसे बड़ी' रंगोली बताया जा रहा है। मसालों की रंगोली आठ अक्टूबर से 26 अक्टूबर तक वाटरफ्रंट मार्केट में सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित की जाएगी। छह मीटर लंबाई और छह मीटर चौड़ाई वाली इस विशाल रंगोली को दालचीनी, हल्दी, मिर्च, धनिया और लौंग समेत 60 किलोग्राम से अधिक विभिन्न मसालों का उपयोग करके तैयार किया गया। ये सभी मसाले वाटरफ्रंट मार्केट से ही लाए गए थे। इस अनूठी कलाकृति ने बाजार के प्रांगण को चटकीले रंगों और सुगंध से भर दिया। इसका 'दुबई फेस्टिवल्स एंड रिटेल एस्टेब्लिशमेंट' (डीएफआरई) द्वारा शहर भर में आयोजित दिवाली कार्यक्रमों के तहत एक विशेष समारोह में हाल में आधिकारिक तौर पर अनावरण किया गया। इस कार्यक्रम में भारत के महावाणिज्य दूतावास के वाणिज्य दूत (पासपोर्ट) सुनील कुमार और डीएफआरई के प्रतिनिधि उपस्थित हुए। आयोजकों ने बताया कि इस कार्यक्रम में एकजुटता, संस्कृति और समुदाय की भावना का प्रदर्शन किया गया।

ऑफ बीट

क्या पालतू जानवर को चूमना ठीक है?

हाल के दशकों में पालतू जानवरों के साथ हमारे रिश्ते में काफी बदलाव आया है। पालतू जानवरों को पालने का चलन बढ़ा है। हम पालतू जानवरों की देखभाल पर हर साल अनुमानित रूप से 33 अरब डॉलर खर्च करते हैं। पालतू जानवर रखना कई मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य लाभों से जुड़ा हुआ है, लेकिन हमारे पालतू जानवर संक्रामक रोगों को भी आश्रय दे सकते हैं जो कभी-कभी हम तक भी पहुंच सकते हैं। अधिकांश लोगों के लिए, जोखिम कम है। लेकिन गर्भवती महिलाओं और कमजोर प्रतिरक्षा प्रणाली वाले लोगों को जानवरों से बीमार होने का अधिक खतरा होता है। इसलिए, जोखिमों को जानना और संक्रमण को रोकने के लिए आवश्यक सावधानी बरतना महत्वपूर्ण है।

पालतू जानवरों से कौन सी बीमारियां हो सकती हैं? जानवरों से मनुष्यों में फैलने वाले संक्रामक रोगों को जूनोटिक रोग या जूनोज कहा जाता है। यह ज्ञात है कि साथ रहने वाले जानवरों के 70 से अधिक रोगाणु लोगों में फैल सकते हैं। कभी-कभी, पालतू जानवर जिसमें जूनोटिक रोगाणु होता है वह बीमार लग सकता है। लेकिन अक्सर कोई दृश्यमान लक्षण नहीं हो सकता है, जिससे आपके लिए संक्रमित होने का जोखिम बढ़ जाता है, क्योंकि आपको अपने पालतू जानवर में रोगाणु के आश्रय होने का संदेह नहीं होता है।

दिल्ली सरकार शहर को भारत की रचनात्मक राजधानी बनाने के लिए काम कर रही: मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता

एजेंसी

नई दिल्ली, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बृहस्पतिवार को कहा कि दिल्ली सरकार, शहर को देश की रचनात्मक राजधानी बनाने की दिशा में कार्य कर रही है और लाखों दर्शकों की क्षमता वाले वृहद आयोजन स्थलों के विकास की योजना पर काम जारी है। उन्होंने यह भी कहा कि राष्ट्रीय राजधानी में अगले 70 दिनों में, 30 प्रसिद्ध कलाकार प्रस्तुति देंगे।

बिहार में घुसपैठियों के वोटों की जुगत में राजद-कांग्रेस

संवाददाता

लखनऊ, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गुरुवार को बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) पर सवाल उठाने के लिए राष्ट्रीय जनता दल (राजद) पर तीखा हमला करते हुए कहा कि महागठबंधन चाहता है कि घुसपैठिए आगामी विधानसभा चुनावों में वोट दें ताकि राज्य के लोगों के अधिकार छीने जा सकें। आदित्यनाथ भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) उम्मीदवार रामकृपाल यादव के समर्थन में दानापुर में एक चुनावी रैली में बोल रहे थे। यह बिहार में आदित्यनाथ की पहली चुनावी रैली थी।

आदित्यनाथ ने कहा कि राजद, कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) गठबंधन अब 'बुर्के' पर राजनीति कर रहे हैं। क्या उन्हें (घुसपैठियों को) बिहार में वोट देने दिया जाना चाहिए? क्या उन्हें बिहार के लोगों के अधिकार छीनने दिए जाने चाहिए? उन्होंने आगे कहा कि राजद और कांग्रेस चुनावों में पारदर्शिता के खिलाफ हैं। अपने संबोधन में, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने बिहार के वर्तमान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की भी सराहना की और कहा कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) सरकार ने राज्य का कायाकल्प कर दिया है। उन्होंने कहा कि डबल इंजन वाली सरकार राज्य के विकास के लिए लगातार काम कर रही है और अब बिहार में विकास को कोई नहीं रोक सकता। योगी ने कहा कि 1990 से 2005 तक बिहार के जंगलराज और वंशवादी राजनीति के बारे में कौन नहीं जानता। आपने देखा होगा कि वो कौन लोग थे जिन्होंने बिहार की आध्यात्मिक ज्ञान की धरती को वंशवादी राजनीति और अपराध की धरती में बदल दिया, हमारे युवाओं के लिए पहचान का संकट पैदा कर दिया। विकास के नाम पर यहाँ कैसे अराजकता फैलाई गई, ये किसी से छिपा नहीं है... इसलिए, पिछले 20 वर्षों में एनडीए सरकार ने बिहार को उस कलंक से मुक्त करने के लिए प्रभावी ढंग से काम किया है। आज बिहार में डबल इंजन वाली सरकार, इसे और भी प्रभावी ढंग से आगे बढ़ाने का आह्वान करने फिर आई है। आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश और बिहार के रिश्तों पर भी बात की और इसे साझी विरासत बताया। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश और बिहार का रिश्ता ₹एक आत्मा का बंधन, एक संस्कृति का बंधन और एक संकल्प का बंधन₹ है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने लोगों से बिहार में सत्तारूढ़ एनडीए को वोट देने की अपील करते हुए कहा, 'यह रिश्ता भगवान राम और माता जानकी के बंधन जितना ही अटूट है।'

न्यायालय, अनुविभागीय अधिकारी (रा) अंबिकापुर, जिला सरगुजा, (छ०ग०)
ईश्तहार
रा०प्र०क्र०../अ-2/2024-25

एतद् द्वारा सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है, कि आवेदक मार्तण्ड सिंह देवा पिता रामबहादुर सिंह देव जाति क्षत्रिय निवासी उत्तरी रिंग रोड़ बौरीपारा अम्बिकापुर तहसील अम्बिकापुर जिला सरगुजा (छ०ग०) द्वारा निवेदन किया गया है, कि उसके स्वामित्व एवं आधिपत्य की भूमि स्थित ग्राम अम्बिकापुर तहसील अंबिकापुर खसरा नंबर नंबर 2050/1, 2051/14, 2053, 2054 रकबा 0.228, 0.060, 0.040, 0.287 हे0 में से 0.210, 0.024, 0.040, 0.200 हे० भूमि जिसे उसने पैतृक हक पत्र से प्राप्त हुआ है, तथा जो भूमि वर्ष 1983-84 में रामबहादुर सिंह आ० चन्द्रेश्वर प्रताप सिंह के नाम से व्यपवर्तित हो चुकी है, उक्त भूमि का आवासीय से व्यवसायिक पुर्ननिधारण के लिए आवेदन पत्र, बी-1, खसरा, व्यपवर्तन प्रमाण पत्र, संहित आवेदन प्रस्तुत किया है, जो इस न्यायालय में विचाराधीन है। अतएव उक्त संबंध में जिस किसी व्यक्ति या संस्था को कोई आपत्ति हो, तो निर्धारित वाई तिथि 29/10/2025 को मेरे न्यायालय में अथवा अधीक्षक भू-अभिलेख के कार्यालय में अथवा अपने अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित होकर आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है। निर्धारित पावधि के पश्चात प्राप्त दावा-आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा। आज दिनांक 08/10/2025 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालयीन पदमुद्रा से जारी।

अनुविभागीय अधिकारी (रा)
अम्बिकापुर

न्यायालय, अनुविभागीय अधिकारी (रा) अंबिकापुर, जिला सरगुजा, (छ०ग०)
ईश्तहार
रा०प्र०क्र०./अ-2/2023-24

एतद् द्वारा सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है, कि आवेदक मार्तण्ड सिंह देवा पिता रामबहादुर सिंह देव जाति क्षत्रिय निवासी उत्तरी रिंग रोड़ बौरीपारा अम्बिकापुर तहसील अम्बिकापुर जिला-सरगुजा (छ०ग०) द्वारा निवेदन किया गया है, कि उसके स्वामित्व एवं आधिपत्य की भूमि ग्राम अम्बिकापुर तहसील अंबिकापुर खसरा नंबर 2050/1, 2051/14 2053, 2054 रकबा 0.228, 0.060, 0.040, 0.287 मे से रकबा 0.210, 0.024, 0.040, 0.200 हे. भूमि जिसे उसने पैतृक हक पत्र से प्राप्त हुआ है, तथा जो भूमि वर्ष 1983-84 में रामबहादुर सिंह आ० चन्द्रेश्वर प्रताप सिंह के नाम से व्यपवर्तित हो चुकी है, उक्त भूमि का आवासीय से व्यवसायिक पुर्ननिरधारण के लिए आवेदन पत्र -1, खसरा, व्यपवर्तन प्रमाण पत्र, संहित आवेदन प्रस्तुत किया है, जो इस न्यायालय में विचाराधीन है। अतएव उक्त संबंध में जिस किसी व्यक्ति या संस्था को कोई आपत्ति हो, तो निर्धारित वाई तिथि 24/10/2025 को मेरे न्यायालय में अथवा अधीक्षक भू-अभिलेख के कार्यालय में अथवा अपने अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित होकर आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है। निर्धारित पावधि के पश्चात प्राप्त दावा-आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा। आज दिनांक 08/10/2025 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालयीन पदमुद्रा से जारी।

अनुविभागीय अधिकारी (रा)
अम्बिकापुर

न्यायालय, अनुविभागीय अधिकारी (रा.) अंबिकापुर, जिला सरगुजा, (छ०ग०)
ईश्तहार
रा०प्र०क्र०./अ-2/2025-26

एतद् द्वारा सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदक प्रभा लकड़ा पत्नी अजय दान लकड़ा जाति उरांव निवासी घोरगडी तहसील राजपुर जिला बलरामपुर (छ०ग०) के द्वारा अपने स्वामित्व एवं आध्यि की भूमि स्थित ग्राम नमनाकला तहसील अम्बिकापुर जिला सरगुजा (छ०ग०) खसरा नंबर 285 रकबा 1.048 हे० भूमि को कृषि भिन्न आवासीय प्रयोजन हेतु व्यपवर्तन कराने के लिए भूमि की बी-1, खसरा, नक्शा, रजिस्ट्री की प्रति, आदि संहित आवेदन प्रस्तुत किया है, जो इस न्यायालय में विचाराधीन है। अतएव उक्त संबंध में जिस किसी व्यक्ति या संस्था को कोई आपत्ति हो, तो निर्धारित सुनवाई तिथि 4/11/2025 को मेरे न्यायालय में अथवा अधीक्षक भू-अभिलेख के कार्यालय में स्वयं अथवा अपने अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित होकर आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है। निर्धारित समयावधि के पश्चात प्राप्त दावा-आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा। आज दिनांक 17/10/2025 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालयीन पदमुद्रा से जारी।

अनुविभागीय अधिकारी (रा),
अम्बिकापुर

न्यायालय तहसीलदार अम्बिकापुर के न्यायालय में मामला क्रमांक: 202510020700082/

विषयः- अ-6
मामले की श्रेणीः राजस्व
सनः-2025-2026
लक्ष्मीपुर प.ह.न. 00023 (92/2(0.0260हे0)]

पक्षकारों का विवरण - आवेदक पक्षकार- देवकुमार साहू,
अनावेदक पक्षकार - नान्हू,

ईश्तहार

आवेदक देवकुमार साहू आ० नान्नू साव निवासी मणीपुर तहसील अम्बिकापुर जिला सरगुजा छ०ग० के द्वारा ग्राम लक्ष्मीपुर स्थित भूमि खसरा नंबर 92/2 रकबा 0.045 हे0 में से रकबा 0.026 हे० भूमि के राजस्व अभिलेखों में पंजीबद्ध दान पत्र दिनांक 07.05.2025 के माध्यम से नामांतरण किये जाने हेतु आवेदन पेश किया गया है।

उक्त संबंध में जिस किसी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो पेशी दिनांक 10.11.2025 के पूर्व न्यायालय में स्वंय अथवा अपने अभिभाषक के माध्यम से उपस्थित होकर दावा आपत्ति प्रस्तुत कर सकते है। समय सीमा के बाद प्राप्त दावा आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जायेगा।

यह ईश्तहार मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से आज दिनांक 14/10/2025 को जारी किया जाता है।

तहसीलदार
तहसील-अम्बिकापुर

न्यायालय, अनुविभागीय अधिकारी (रा.) अंबिकापुर, जिला सरगुजा, (छ०ग०)
ईश्तहार
रा०प्र०क्र०..../अ-2/2025-26

एतद् द्वारा सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदक सुलेन्द्र गुप्ता, जितेन्द्र गुप्ता आ० गणेश प्रसाद जाति तेली निवासी कन्यापरिसर रोड़ अम्बिकापुर तहसील अम्बिकापुर जिला सरगुजा (छ०ग०) के द्वारा अपने स्वामित्व एवं आध्यि की भूमि स्थित ग्राम नमनाकला तहसील अम्बिकापुर जिला सरगुजा (छ०ग०) खसरा नंबर 2/1064, रकबा 0.018 हे० भूमि को कृषि भिन्न आवासीय प्रयोजन हेतु व्यपवर्तन कराने के लिए भूमि की बी-1, खसरा, रजिस्ट्री की प्रति, आदि संहित आवेदन प्रस्तुत किया है, जो इस न्यायालय में विचाराधीन है। अतएव उक्त संबंध में जिस किसी व्यक्ति या संस्था को कोई आपत्ति हो, तो निर्धारित सुनवाई तिथि 04/11/2025 को मेरे न्यायालय में अथवा अधीक्षक भू-अभिलेख के कार्यालय में स्वयं अथवा अपने अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित होकर आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है। निर्धारित समयावधि के पश्चात प्राप्त दावा-आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा। आज दिनांक 17/10/2025 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालयीन पदमुद्रा से जारी।

अनुविभागीय अधिकारी (रा),
अम्बिकापुर

न्यायालय, अनुविभागीय अधिकारी (रा.) अंबिकापुर, जिला सरगुजा, (छ०ग०)
ईश्तहार
रा०प्र०क्र०./अ-2/2025-26

एतद् द्वारा सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदक अनुज कुमार अग्रवाल आ० उमेश कुमार अग्रवाल जाति अग्रवाल निवासी सरगंवा तहसील अम्बिकापुर जिला सरगुजा (छ०ग०) के द्वारा अपने स्वामित्व एवं आध्यि की भूमि स्थित ग्राम सरगंवा तहसील अम्बिकापुर जिला सरगुजा (छ०ग०) खसरा नंबर 306/50, रकबा 0.053 हे० भूमि को कृषि भिन्न आवासीय प्रयोजन हेतु व्यपवर्तन कराने के लिए भूमि की बी-1, खसरा, नक्शा, पंचायत प्रस्ताव, रजिस्ट्री की प्रति, आदि संहित आवेदन प्रस्तुत किया है, जो इस न्यायालय में विचाराधीन है। अतएव उक्त संबंध में जिस किसी व्यक्ति या संस्था को कोई आपत्ति हो, तो निर्धारित सुनवाई तिथि 04/11/2025 को मेरे न्यायालय में अथवा अधीक्षक भू-अभिलेख के कार्यालय में स्वयं अथवा अपने अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित होकर आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है। निर्धारित समयावधि के पश्चात प्राप्त दावा-आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा। आज दिनांक 17/10/2025 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालयीन पदमुद्रा से जारी।

अनुविभागीय अधिकारी (रा),
अम्बिकापुर

आंध्र प्रदेश को पीएम मोदी का तोहफा, 140 करोड़ भारतीयों की होगी 21वीं सदी

संवाददाता

नई दिल्ली, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लगभग 13,430 करोड़ रुपये की लागत वाली कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन, शिलान्यास और राष्ट्र को समर्पित किया। मोदी ने आंध्र प्रदेश गौरव और समृद्ध संस्कृति की भूमि है। यह विज्ञान और नवाचार का केंद्र भी है। इस राज्य में असीम संभावनाएँ और अपार क्षमताएँ हैं। उन्होंने कहा कि आंध्र को सही दृष्टिकोण की आवश्यकता थी। चंद्रबाबू नायडू और पवन कल्याण के नेतृत्व में, राज्य को अब वह दृष्टिकोण और केंद्र सरकार का समर्थन दोनों प्राप्त है। मोदी ने कहा कि आंध्र प्रदेश विकास की राह पर तेजी से आगे बढ़ रहा है। डबल इंजन वाली सरकार की ताकत से, राज्य अभूतपूर्व विकास का गवाह बन रहा है। जैसा कि चंद्रबाबू गारू ने ठीक ही कहा है, इस अजेय गति को देखते हुए, मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूँः 2047 तक, जब भारत अपनी आजादी के 100 साल पूरे करेगा, यह सचमुच एक विकसित भारत होगा। उन्होंने कहा कि मैं पूरे विश्वास के साथ कहता हूँ कि 21वीं सदी भारत की सदी होगी। 21वीं सदी 140 करोड़ भारतीयों की होगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज सड़क, बिजली, रेलवे, राजमार्ग और व्यापार से जुड़ी कई परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया गया है। इन पहलों से उद्योग को बढ़ावा मिलेगा और लोगों का जीवन आसान होगा। इन परियोजनाओं से कुरनूल और आसपास के क्षेत्रों को बहुत लाभ होगा। मैं इन विकासों के लिए कुरनूल और पूरे राज्य के लोगों को बधाई देता हूँ। उन्होंने कहा कि तेज विकास के बीच हमें अतीत की स्थिति को नहीं भूलना चाहिए। लगभग 11 साल पहले, जब केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी, तब प्रति व्यक्ति बिजली की खपत औसतन 1000 यूनिट से भी कम थी।

न्यायालय तहसीलदार बैकुण्ठपुर जिला कोरिया (छ.ग.)
//ईश्तहार//

एतद् द्वारा सर्व साधारण एवं नगरवासी/ग्राम फुलपुर की आम जनता को सुचित किया जाता है कि आवेदक/आवेदिका मंगल साय पिता/पति समय लाल जाति गोंड निवासी फुलपुर तहसील बैकुण्ठपुर जिला कोरिया के द्वारा करुण साय निवासी फुलपुर का जन्म/मृत्यु दिनांक 10/06/2017 को होने के कारण जन्म प्रमाण पत्र बनवाने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया है। आवेदक/आवेदिका के द्वारा प्रस्तुत उक्त जन्म प्रमाण पत्र बनवाने पर जिस किसी व्यक्ति/संस्था को कोई आपत्ति हो तो वो स्वयं अथवा अभिभावन के माध्यम से उपस्थित हो कर इस न्यायालय मे दिनांक 30/10/2025 को 11:00 बजे तक आपत्ति प्रस्तुत कर सकते है। निर्धारित समयावधि के बाद प्राप्त आपत्तियों पर कोई सचनवाई नही होगी।

कार्यपालिक दण्डाधिकारी
बैकुण्ठपुर जिला कोरिया छ.ग.

न्यायालय तहसीलदार बैकुण्ठपुर जिला कोरिया (छ.ग.)
//ईश्तहार//

एतद् द्वारा सर्व साधारण एवं नगरवासी/ग्राम फुलपुर की आम जनता को सुचित किया जाता है कि आवेदक/आवेदिका मंगल साय पिता/पति समय लाल जाति गोंड निवासी फुलपुर तहसील बैकुण्ठपुर जिला कोरिया के द्वारा गोलू निवासी फुलपुर का जन्म/मृत्यु दिनांक 01/01/2014 को होने के कारण जन्म प्रमाण पत्र बनवाने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया है।

आवेदक/आवेदिका के द्वारा प्रस्तुत उक्त जन्म प्रमाण पत्र बनवाने पर जिस किसी व्यक्ति/संस्था को कोई आपत्ति हो तो वो स्वयं अथवा अभिभावन के माध्यम से उपस्थित हो कर इस न्यायालय मे दिनांक 30/10/2025 को 11:00 बजे तक आपत्ति प्रस्तुत कर सकते है। निर्धारित समयावधि के बाद प्राप्त आपत्तियों पर कोई सचनवाई नही होगी।

कार्यपालिक दण्डाधिकारी
बैकुण्ठपुर जिला कोरिया छ.ग.

न्यायालय तहसीलदार बैकुण्ठपुर जिला कोरिया (छ.ग.)
//ईश्तहार//

एतद् द्वारा सर्व साधारण एवं नगरवासी/ग्राम चेर की आम जनता को सुचित किया जाता है कि आवेदक/आवेदिका रामेश्वर राजवाडे पिता/पति मंगलूराम राजवाडे जाति रजवार निवासी चेर तहसील बैकुण्ठपुर जिला कोरिया के द्वारा रामेश्वर राजवाडे निवासी चेर का जन्म/मृत्यु दिनांक 03/06/1973 को होने के कारण जन्म प्रमाण पत्र बनवाने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया है।

आवेदक/आवेदिका के द्वारा प्रस्तुत उक्त जन्म प्रमाण पत्र बनवाने पर जिस किसी व्यक्ति/संस्था को कोई आपत्ति हो तो वो स्वयं अथवा अभिभावन के माध्यम से उपस्थित हो कर इस न्यायालय मे दिनांक 24/10/2025 को 11:00 बजे तक आपत्ति प्रस्तुत कर सकते है। निर्धारित समयावधि के बाद प्राप्त आपत्तियों पर कोई सचनवाई नही होगी।

कार्यपालिक दण्डाधिकारी
बैकुण्ठपुर जिला कोरिया छ.ग.

जैसलमेर बस त्रासदी! राजस्थान सरकार का बड़ा फैसला

मृतकों के परिजनों को 10-25 लाख तक की आर्थिक मदद

एजेंसी

नई दिल्ली, राजस्थान के थार रेगिस्तान की चिलचिलाती गर्मी में, जैसलमेर से जोधपुर तक की एक रात भर की यात्रा एक भयावह कक्ष में बदल गई। 14 अक्टूबर को, जैसलमेर शहर से लगभग 10 किलोमीटर दूर थईयात गाँव के पास, परिवारों और बच्चों सहित 57 यात्रियों को ले जा रही एक निजी वातानुकूलित स्लीपर बस में आग लग गई। कुछ ही मिनटों में, वाहन, जो कि पांच दिन पहले ही एसी से सुसज्जित एक नया चमचमाता हुआ अधिग्रहण था, मौत का जाल बन गया। इक्कीस लोग, जिनमें तीन बच्चे थे, पहचान से परे जल गए। सोलह अन्य स्थानीय अस्पतालों में गंभीर रूप से जलने से जूझ रहे हैं।

भारत के प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने त्रासदी में जानमाल के नुकसान पर दुख व्यक्त किया, साथ ही मृतकों के परिजनों को 2 लाख रुपये और घायलों को 50 हजार रुपये की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा जैसलमेर में दुर्घटना स्थल और जोधपुर के अस्पताल का दौरा करने के लिए तत्पर थे राजस्थान सरकार ने जैसलमेर बस हादसे में जान गंवाने वालों के आश्रितों को आर्थिक सहायता देने की घोषणा की है। इसके तहत मृतकों के आश्रितों को 10-10 लाख रुपये की आर्थिक सहायता स्वीकृत की गई है। आधिकारिक बयान के अनुसार, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जैसलमेर बस हादसे के मृतको के आश्रितों और घायलों के लिए आर्थिक सहायता स्वीकृत की है।

न्यायालय नजूल अधिकारी, अम्बिकापुर जिला-सरगुजा
रा०प्र०क्र०//अ-20(3)/2024-25
ईश्तहार

एतद् द्वारा सर्व साधारण को सूचित किया जाता है, कि आवेदिका मुन्नी देवी ताम्रकार पति बिहारी लाल ताम्रकार उम्र 63 वर्ष निवासी तिवारी बिल्डिंग के पीछे रैदास वार्ड केदारपुर, तहसील अम्बिकापुर, जिला-सरगुजजा छ०ग० के द्वारा अपने स्वामित्व की मोहल्ला केदारपुर नगर अम्बिकापुर शीट नम्बर 2 स्थित नजूल भूखण्ड कमाक 275/5 रकबा 0.05 एकड़ भूमि को अनावेदक मीना शर्मा आ० लवकुश शर्मा उम्र लगभग 31 वर्ष निवासी भट्टी रोड केदारपुर नगर अम्बिकापुर तहसील अम्बिकापुर, जिला-सरगुजा छ०ग० के पास बिक्रय करने की अनापत्ति प्रमाण पत्र हेतु मेन्टनेन्स खसरा, शपथ पत्र की छायाप्रति सहित आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है। उक्त भू-खण्ड के संबंध में यदि किसी व्यक्ति अथवा संस्था को कोई दावा अथवा आपत्ति हो तो अपना लिखित दावा-आपत्ति स्वयं अथवा अपने अधिवक्ता के माध्यम से दिनांक 07/11/2025 तक इस न्यायालय में प्रस्तुत कर सकते है। नियत समय-सीमा के बाद प्राप्त दावा-आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जायेंगा। आज दिनांकः- 15/10/2025 को मेरे हस्ताक्षर एंव न्यायालीन पदमुद्रा से जारी।

नजूल अधिकारी
अम्बिकापुर

न्यायालय तहसीलदार राजपुर, जिला-बलरामपुर-रामानुजगंज (छ.ग.)
रा०प्र०क०.ब-121/2024-25
ग्राम-ओकरा
तहसील राजपुर
-::ईश्तहार::-

एत्द द्वारा सर्वसाधारण आम जनता ग्राम ओकरा को सूचित किया जाता है कि आवेदक चमरू पिता स्व० पेटला जाति-उराव निवासी ग्राम ओकरा थाना राजपुर तहसील राजपुर जिला-बलरामपुर-रामानुजगंज (छ०ग०) द्वारा अपने पिता स्व० पेटला की मृत्यु ग्राम ओकरा में दिनांक 03.05.2013 को हुआ है। किन्तु मृत्यु पंजीयन कार्यालय में नियत समय में अज्ञानता वंश कार्य व्यस्तता के कारण पंजीयन नहीं करा पाने के कारण पंजीयन हेतु आवेदन पत्र शपथ पत्र पेश है। जो न्यायालय में मृत्यु प्रमाण पत्र हेतु विचाराधीन है। आवेदक के द्वारा प्रस्तुत आवेदन पर यदि किसी अथवा अपने अभिभावक के माध्यम से पेशी तिथि 24/10/2025 के पूर्व इस न्यायालय में आपत्ति पेश कर सकता है। नियत दिनांक के पश्चात प्राप्त होने वाले दावा आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा। आज दिनांक 09/10/2025 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालयीन मुद्रा से जारी किया गया।

कार्यपालिक डण्डाधिकारी
राजपुर,
जिला-बलरामपुर-रा.गंज (छ.ग.)

न्यायालय, अनुविभागीय अधिकारी (रा.) अंबिकापुर, जिला सरगुजा, (छ०ग०)
ईश्तहार
रा०प्र०क्र०../अ-2/2025-26

एतद् द्वारा सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदक उमेश कुमार अग्रवाल पिता बिरम चंद जाति अग्रवाल निवासी सरगंवा तहसील अम्बिकापुर जिला सरगुजा (छ०ग०) के द्वारा अपने स्वामित्व एवं आध्यि की भूमि स्थित ग्राम सरगंवा तहसील अम्बिकापुर जिला सरगुजा (छ०ग०) खसरा नंबर 306/73, रकबा 0.052 हे० भूमि को कृषि भिन्न आवासीय प्रयोजन हेतु व्यपवर्तन कराने के लिए भूमि की बी-1, खसरा, नक्शा, पंचायत प्रस्ताव, रजिस्ट्री की प्रति, आदि संहित आवेदन प्रस्तुत किया है, जो इस न्यायालय में विचाराधीन है।

अतएव उक्त संबंध में जिस किसी व्यक्ति या संस्था को कोई आपत्ति हो, तो निर्धारित सुनवाई तिथि 04/11/2025 को मेरे न्यायालय में अथवा अधीक्षक भू-अभिलेख के कार्यालय में स्वयं अथवा अपने अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित होकर आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है। निर्धारित समयावधि के पश्चात प्राप्त दावा-आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा। आज दिनांक 17/10/2025 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालयीन पदमुद्रा से जारी।

अनुविभागीय अधिकारी (रा),
अम्बिकापुर

न्यायालय, अनुविभागीय अधिकारी (रा.) अंबिकापुर, जिला सरगुजा, (छ०ग०)
ईश्तहार
रा०प्र०क्र०../अ-2/2025-26

एतद् द्वारा सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदक दीपिका अग्रवाल पत्नी विजय अग्रवाल जाति अग्रवाल निवासी सरगंवा तहसील अम्बिकापुर जिला सरगुजा (छ०ग०) के द्वारा अपने स्वामित्व एवं आध्यि की भूमि स्थित ग्राम सरगंवा तहसील अम्बिकापुर जिला सरगुजा (छ०ग०) खसरा नंबर 306/72 रकबा 0.049 हे० भूमि को कृषि भिन्न आवासीय प्रयोजन हेतु व्यपवर्तन कराने के लिए भूमि की बी-1, खसरा, नक्शा, पंचायत प्रस्ताव, रजिस्ट्री की प्रति, आदि संहित आवेदन प्रस्तुत किया है, जो इस न्यायालय में विचाराधीन है।अतएव अतएव उक्त संबंध में जिस किसी व्यक्ति या संस्था को कोई आपत्ति हो, तो निर्धारित सुनवाई तिथि 04/11/2025 को मेरे न्यायालय में अथवा अधीक्षक भू-अभिलेख के कार्यालय में स्वयं अथवा अपने अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित होकर आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है। निर्धारित समयावधि के पश्चात प्राप्त दावा-आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।

आज दिनांक 17/10/2025 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालयीन पदमुद्रा से जारी।

अनुविभागीय अधिकारी (रा),
अम्बिकापुर

न्यायालय, अनुविभागीय अधिकारी (रा.) अंबिकापुर, जिला सरगुजा, (छ०ग०)
ईश्तहार
रा०प्र०क्र०../अ-2/2025-26

एतद् द्वारा सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदक ज्योति सिंह आ० हरिश सिंह जाति क्षत्रिय निवासी अम्बिकापुर तहसील अम्बिकापुर जिला सरगुजा (छ०ग०) के द्वारा अपने स्वामित्व एवं आध्यि की भूमि स्थित ग्राम नमनाकला तहसील अम्बिकापुर जिला सरगुजा (छ०ग०) खसरा नंबर 2/966 रकबा 0.025 हे० भूमि को कृषि भिन्न आवासीय प्रयोजन हेतु व्यपवर्तन कराने के लिए भूमि की बी-1, खसरा, नक्शा, रजिस्ट्री की प्रति, आदि संहित आवेदन प्रस्तुत किया है, जो इस न्यायालय में विचाराधीन है। अतएव उक्त. संबंध में जिस किसी व्यक्ति या संस्था को कोई आपत्ति हो, तो निर्धारित सुनवाई तिथि 06/11/2025 को मेरे न्यायालय में अथवा अधीक्षक भू-अभिलेख के कार्यालय में स्वयं अथवा अपने अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित होकर आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है। निर्धारित समयावधि के पश्चात प्राप्त दावा-आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा। आज दिनांक 17/10/2025 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालयीन पदमुद्रा से जारी।

अनुविभागीय अधिकारी (रा),
अम्बिकापुर

न्यायालय, अनुविभागीय अधिकारी (रा.) अंबिकापुर, जिला सरगुजा, (छ०ग०)
ईश्तहार
रा०प्र०क्र०.../अ-2/2025-26

एतद् द्वारा सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदक दिपलक्ष्मी सिंह पत्नी अनिमेष सिंह जाति कंवर निवासी मानपुर तहसील लुण्ड्रा जिला सरगुजा (छ०ग०) के द्वारा अपने स्वामित्व एवं आध्यि की भूमि स्थित ग्राम लक्ष्मीपुर तहसील अम्बिकापुर जिला सरगुजा (छ०ग०) खसरा नंबर 4/4, रकबा 0.013 हे0 भूमि को कृषि भिन्न आवासीय प्रयोजन हेतु व्यपवर्तन कराने के लिए भूमि की बी-1, खसरा, नक्शा, भूमि उपयोगिता प्रमाण पत्र, रजिस्ट्री की प्रति, आदि संहित आवेदन प्रस्तुत किया है, जो इस न्यायालय में विचाराधीन है। अतएव उक्त संबंध में जिस किसी व्यक्ति या संस्था को कोई आपत्ति हो, तो निर्धारित सुनवाई तिथि 03/11/2025 को मेरे न्यायालय में अथवा अधीक्षक भू-अभिलेख के कार्यालय में स्वयं अथवा अपने अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित होकर आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है। निर्धारित समयावधि के पश्चात प्राप्त दावा-आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा। आज दिनांक 16/10/2025 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालयीन पदमुद्रा से जारी।

अनुद्रिभागीय अधिकारी (रा),
अम्बिकापुर

न्यायालय, अनुविभागीय अधिकारी (रा.) अंबिकापुर, जिला सरगुजा, (छ०ग०)
ईश्तहार
रा०प्र०क्र०......./अ-2/2024-25

एतद् द्वारा सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदक शहनाज बानो पत्नी मो० इकबाल जाति मुसलमान निवासी अम्बिकापुर तहसील अम्बिकापुर जिला सरगुजा (छ०ग०) के द्वारा अपने स्वामित्व एवं आध्यि की भूमि स्थित ग्राम अम्बिकापुर तहसील अम्बिकापुर जिला सरगुजा (छ०ग०) खसरा नंबर 2534/25, रकबा 0.012 हे0 भूमि को कृषि भिन्न आवासीय प्रयोजन हेतु व्यपवर्तन कराने के लिए भूमि की बी-1, खसरा, सेटलमेन्ट, रजिस्ट्री की प्रति, आदि संहित आवेदन प्रस्तुत किया है, जो इस न्यायालय में विचाराधीन है। अतएव उक्त संबंध में जिस किसी व्यक्ति या संस्था को कोई आपत्ति हो, तो निर्धारित सुनवाई तिथि 03/11/2025 को मेरे न्यायालय में अथवा अधीक्षक भू-अभिलेख के कार्यालय में स्वयं अथवा अपने अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित होकर आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है। निर्धारित समयावधि के पश्चात प्राप्त दावा-आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा। आज दिनांक 16/10/2025 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालयीन पदमुद्रा से जारी।

अनुविभागीय अधिकारी (रा),
अम्बिकापुर

न्यायालय, अनुविभागीय अधिकारी (रा.) अंबिकापुर, जिला सरगुजा, (छ०ग०)
ईश्तहार
रा०प्र०क्र०..../अ-2/2025-26

एतद् द्वारा सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदक शशि बाला अग्रवाल पत्नी उमेश कुमार अग्रवाल जाति अग्रवाल निवासी सरगंवा तहसील अम्बिकापुर जिला सरगुजा (छ०ग०) के द्वारा अपने स्वामित्व एवं आध्यि की भूमि स्थित ग्राम सरगंवा तहसील अम्बिकापुर जिला सरगुजा (छ०ग०) खसरा नंबर 306/51, रकबा 0.050 हे० भूमि को कृषि भिन्न आवासीय प्रयोजन हेतु व्यपवर्तन कराने के लिए भूमि की बी-1, खसरा, नक्शा, पंचायत प्रस्ताव, रजिस्ट्री की प्रति, आदि संहित आवेदन प्रस्तुत किया है, जो इस न्यायालय में विचाराधीन है। अतएव उक्त संबंध में जिस किसी व्यक्ति या संस्था को कोई आपत्ति हो, तो निर्धारित सुनवाई तिथि 04/11/2025 को मेरे न्यायालय में अथवा अधीक्षक भू-अभिलेख के कार्यालय में स्वयं अथवा अपने अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित होकर आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है। निर्धारित समयावधि के पश्चात प्राप्त दावा-आंपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा। आज दिनांक 17/10/2025 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालयीन पदमुद्रा से जारी।

अनुविभागीय अधिकारी (रा),
अम्बिकापुर

धनतेरस एवं दिपावली की हार्दिक शुभकामनाऐं...
JOHN DEERE
त्यौहार के साथ,
खिले हर मुस्कान!
5 साल की वारंटी
जैनसंस ट्रैक्टर्स
रिंग रोड, नमनाकला, नियर महामाया पेट्रोल पम्प, अम्बिकापुर (छ.ग.)
मो.- 9300187871
ब्रांच - बैकुंठपुर, लखनपुर, बतौली, दरिमा, बगीचा, मो.- 8305888008

Since 1947
RJ
धनतेरस - दीपावली एवं
छठपर्व की हार्दिक बधाई एवं
शुभकामनाएं
Exclusive Variety of Gold, Diamond
Kundan & Polki jewellery
शुद्ध चांदी की मुर्तियों एवं बर्तनों की विशाल रेंज उपलब्ध
Radheshyam
Om Jewellers
Sadar Road, Ambikapur (C.G.) 497001
9479024297, 0777422297
radheshyamomjewellers@gmail.com

बिहारपुर क्षेत्र में 16 हाथियों के दल ने मचाया उत्पात, खेत मे खड़ी फसलों को पहुंचा रहे नुकसान

0 भय के साये में ग्रामीण, बढ़ी नाराज़गी 0 सक्रिय हुआ वन विभाग, गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान की निष्क्रियता से असंतोष

प्रतिनिधि छ.ग. फ्रंटलाइन

सूरजपुर। जिले के चांदनी बिहारपुर वन क्षेत्र में जंगली हाथियों का आतंक थमने का नाम नहीं ले रहा है। पिछले तीन महीनों से एक हाथी लगातार इस क्षेत्र में डेरा जमाए हुए है, वहीं अब प्रतापपुर क्षेत्र से आए 15 हाथियों का झुंड बिहारपुर की सीमाओं में प्रवेश कर गया है। इन दोनों दलों की मौजूदगी से खैरा, कछिया, परसा, जूडवनिया, मोहरसोप, घुही, खोड़, केसर, चांदनी सहित एक दर्जन से अधिक गांवों में भय और अफरातफरी का माहौल बना हुआ है।ग्रामीणों के मुताबिक, ये हाथी रात के समय गांवों के पास पहुंच जाते हैं और खेतों में लगी धान, कोदो, कुटकी, रागी, अरहर जैसी फसलों को रौंदकर भारी नुकसान पहुंचा रहे हैं। कई किसानों की फसलें पूरी तरह बर्बाद हो चुकी हैं। किसान अब रात में खेतों में पहरा देने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं, क्योंकि हाथियों के झुंड अक्सर अचानक हमला कर देते हैं।

इस क्षेत्र में दो विभागों का वन क्षेत्र आता है। वन विभाग बिहारपुर परिक्षेत्र और गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान रिहंद महुलीङ्कमोहरसोप क्षेत्र है। वन विभाग के कर्मचारी लगातार ग्रामीणों को जागरूक कर रहे हैं, हाथियों की गतिविधियों पर नजर रख रहे हैं और फसलों की क्षति का सर्वे कर मुआवजा प्रक्रिया प्रारंभ कर चुके हैं। रेंजर मेवालाल पटेल ने बताया कि 15 हाथियों के दल में तीन से चार छोटे बच्चे भी शामिल हैं। विभाग की टीम रात्रि गश्त कर रही है

और ग्रामीणों को जंगल की ओर न जाने की सलाह दी जा रही है लेकिन दूसरी ओर, गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान के अधिकारी और कर्मचारी पूरी तरह निष्क्रिय दिखाई दे रहे हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि न तो वे गांवों में आते हैं, न ही किसी प्रकार की जागरूकता अभियान या हाथियों को भगाने का प्रयास किया जाता है। कई बार तो अधिकारी अपने कार्यालयों से भी नदारद रहते हैं। इस लापरवाही के कारण ग्रामीणों में गुस्सा और असंतोष बढ़ता जा रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि यदि उद्यान प्रबंधन समय रहते सक्रिय नहीं हुआ, तो आने वाले दिनों में यह समस्या और भयावह हो सकती है। हाथियों का झुंड धीरे-धीरे आबादी की ओर बढ़ रहा है, जिससे मानव-हाथी संघर्ष का खतरा मंडराने लगा है।

दिनभर जंगल मे और रहते हैं शाम ढलते ही पहुंच जाते हैं गांवों

गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान के घने जंगलों में दिन के समय ये हाथी रहते हैं। जैसे ही शाम ढलती है, झुंड खेतों और गांवों की ओर निकल पड़ता है। ग्रामीणों के अनुसार, हाथी धान की पकी फसल और कोदो-कुटकी जैसी अनाज वाली फसलों की ओर आकर्षित होते हैं। पिछले कुछ दिनों में हाथियों ने दर्जनों किसानों की फसलों को नुकसान पहुंचाया है, जिससे किसानों की सालभर की मेहनत पर पानी फिर गया है। ग्रामीणों ने बताया कि कभी-कभी हाथी घरों के करीब तक आ जाते हैं। कई परिवार अब रात को जंगल किनारे वाले घरों को खाली कर चुके हैं। बच्चे और बुजुर्गों में भय का माहौल है। स्थानीय जनप्रतिनिधियों और ग्रामीणों ने जिला प्रशासन से मांग की है कि गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान के अधिकारियों की जवाबदेही तय की जाए और दोनों विभागों के बीच समन्वय स्थापित कर त्वरित कार्यवाही की जाए।

कागजी कार्रवाई और औपचारिक सर्वे से नहीं होगा समस्या हल

लोगों का कहना है कि केवल कागजी कार्यवाही और औपचारिक सर्वे से समस्या हल नहीं होगा। ज़रूरत है जमीनी स्तर पर गश्त, सायरन व्यवस्था, निगरानी दल और ड्रोन सर्वे की। ग्रामीणों ने यह भी कहा कि वन विभाग अपनी क्षमता के अनुसार काम कर रहा है, परन्तु राष्ट्रीय उद्यान के अधिकारियों की अनुपस्थिति और निष्क्रियता ने समस्या को और बढ़ा दिया है।

गांवों में लगातार यह चर्चा है कि अगर हाथियों के झुंड को नहीं रोका गया, तो आने वाले दिनों में यह खेतों से निकलकर आबादी में भी घुस सकते हैं। ग्रामीणों अपनी सुरक्षा के लिए रातें जागकर बिता रहे हैं, मगर डर के साये में जीवन असहनीय हो गया है। बिहारपुर क्षेत्र में दो दलों में कुल 16 जंगली हाथी सक्रिय हैं। तीन महीने से मौजूद अकेला हाथी और दूसरा नया आया 15 हाथियों का दल। पूरे इलाके में वन विभाग की टीमें मुस्तैद हैं, लेकिन ग्रामीणों को अब गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान प्रशासन से भी सक्रिय सहयोग की उम्मीद है।

गैर-कानूनी मोडिफिकेशन, न्यायालय ने पिकप पर लगाया 1 लाख का जुर्माना

प्रतिनिधि छ.ग. फ्रंटलाइन

सूरजपुर। जिले में एक वाहन मालिक को वाहन में गैर-कानूनी मोडिफिकेशन के कारण एक लाख का जुर्माना भरना पड़ा है। एसएसपी प्रशांत कुमार ठाकुर के निर्देश पर जिले की पुलिस यातायात नियमों के उल्लंघन पर सख्ती बरत रही है।

इसी क्रम 12 अक्टूबर को थाना चंदौरा पुलिस के द्वारा वाहन चेकिंग के दौरान पिकअप वाहन क्रमांक यूपी 53 जेटी 0542 में कंपनी द्वारा निर्धारित ट्राला को बिना आरटीओ अनुमति के निर्माण कराकर बढ़ाने वाले वाहन स्वामी के विरूद्ध कार्यवाही करते हुए धारा 182(क)(1) एमव्ही एक्ट का इस्तगाशा माननीय न्यायालय प्रतापपुर में पेश किया। इस मामले में न्यायालय के द्वारा पिकअप वाहन पर 1 लाख रूपये का जुर्माना किया है।

इस कार्यवाही में थाना प्रभारी चंदौरा मनोज सिंह, एएसआई नील कुसुम बेक व अन्य स्टाफ सक्रिय रहे। पुलिस ने नागरिकों से आग्रह किया है कि सड़क दुर्घटना से बचाव के लिए, यातायात नियमों का पालन करें। अपने वाहन में कोई भी अनाधिकृत बदलाव न करें, ऐसा करना किसी दुर्घटना का कारण बन सकता है और भारी जुर्माना भी देना पड़ सकता है।

प्रत्येक पात्र व्यक्ति तक पहुंचे शासन की योजनाओं का लाभ : जयवर्धन

समय सीमा की बैठक में कलेक्टर ने दिए आवश्यक निर्देश

प्रतिनिधि छ.ग. फ्रंटलाइन

सूरजपुर। यहां जिला संयुक्त कार्यालय के सभाकक्ष में कलेक्टर एस.जयवर्धन की अध्यक्षता में समय सीमा की बैठक आहूत की गई। बैठक में शासन की मंशानुरूप केंद्र व राज्य शासन की योजनाओं को सफलता पूर्वक क्रियान्वयन करने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश उपस्थित जिला अधिकारियों को दिये गये। शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ प्रत्येक पात्र हितग्राहियों को मिले इस हेतु कैलेण्डर आधारित विशेष कार्य योजना बनाने के निर्देश कलेक्टर द्वारा उपस्थित जनों को दिये। बैठक में धान खरीदी विषय को लेकर चर्चा की गई। कलेक्टर ने 15 नवंबर से शुरू होने वाले धान खरीदी की संपूर्ण व्यवस्थाएं तय समय से पूर्व सुनिश्चित करने हेतु आवश्यक दिशा निर्देश संबंधित विभाग को दिये। धान खरीदी केंद्र में सभी मुलभूत सुविधा सहकारी समिति द्वारा सुनिश्चित करने एवं संवेदनशील उर्पाजन केन्द्रों में जिला स्तरीय अधिकारियों की ड्यूटी लगाने और शिक्षा व्यवस्था में सकारात्मक सुधार हेतु जिला शिक्षा अधिकारी को आवश्यक कदम उठाने के निर्देश दिये गये। दसवीं एवं बारहवीं बोर्ड परीक्षाओं के परिणाम में विगत वर्ष तुलना में बेहतर व शत प्रतिशत परिणाम मिले इस हेतु बनाये गये कार्ययोजना को बेहतर तरीके से बात कही गई। इस अवसर पर जिला पंचायत सीईओ विजेंद्र पाटले, संयुक्त कलेक्टर पुष्पेंद्र शर्मा, सर्व एसडीएम व अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित थे।

प्राथमिकता के साथ करायें एग्री स्टैक पंजीयन

राजस्व अधिकारियों की समीक्षा बैठक में कलेक्टर ने अनुविभाग एवं तहसीलवार राजस्व प्रकरणों की गहन समीक्षा करते हुए उनके निराकरण की अद्यतन स्थिति की जानकारी ली। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि सभी राजस्व प्रकरणों का समय-सीमा के भीतर निराकरण सुनिश्चित किया जाए, ताकि आम नागरिकों को शीघ्र न्याय मिल सके। बैठक के दौरान अभिलेख सुधार, नामांतरण, बंटवारा, सीमांकन, भू-अर्जन, पट्टा वितरण तथा अभिलेख दुरुस्तीकरण जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की गई।

प्रमुख क्षेत्रों में विशेष निगरानी रखने के निर्देश

कलेक्टर एवं पुलिस अधीक्षक ने राजस्व, पुलिस एवं अन्य विभागों के अधिकारियों की बैठक लेकर जिले की कानून-व्यवस्था की समीक्षा की। बैठक में त्यौहारों के मद्देनज़र जिले में शांति और सुरक्षा व्यवस्था सुदृढ़ बनाए रखने पर विशेष जोर दिया गया। दिवाली एवं छठ पर्व के दौरान किसी भी प्रकार की अप्रिय स्थिति न उत्पन्न हो, इसके लिए संवेदनशील और प्रमुख क्षेत्रों में विशेष निगरानी रखने के निर्देश दिए गए। उन्होंने पर्व के अवसर पर सुरक्षा, प्रकाश व्यवस्था और स्वच्छता पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए। सभी छठ घाटों पर पर्याप्त व्यवस्था, पटाखा दुकानों के समीप सुरक्षा उपायों तथा आपात स्थिति से निपटने की तैयारी के लिए अधिकारियों को सतर्क रहने के निर्देश दिए गए।

छात्राओं को वितरित की गई सरस्वती योजना की सायकिल

प्रतिनिधि छ.ग. फ्रंटलाइन

बिहारपुर। शासन की छात्रा हितैषी योजना के तहत कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बिहारपुर में साइकिल वितरण कार्यक्रम का आयोजन उत्साहपूर्ण माहौल में किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता विद्यालय प्राचार्य अरूण कुमार राठौर ने की। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में बिहारपुर मंडल अध्यक्ष जगप्रसाद सिंह उपस्थित रहे। विशिष्ट अतिथि के रूप में सुरेन्द्र कुमार गुप्ता, बी. पी. जायसवाल एस.एम.डी.सी अध्यक्ष एवं महामंत्री, शिवधन गुप्ता, उपेंद्र कुमार गुप्ता, देवेंद्र कुमार गुप्ता, मंदेश गुप्ता, रामाधीन तिवारी, पुनीत साहू, विजय राठौर, अंसारी प्रेरक देशमुख, दुर्गावती सिंह, माया गुप्ता सहित गणमान्य नागरिक एवं अभिभावक उपस्थित रहे। कार्यक्रम के दौरान छात्राओं को शासन की मुख्यमंत्री बालिका साइकिल योजना अंतर्गत नि:शुल्क साइकिलें वितरित की गईं। साइकिल पाकर छात्राओं के चेहरों पर खुशी झलक उठी। अतिथियों ने छात्राओं को उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दीं और शिक्षा के प्रति समर्पण के लिए प्रेरित किया। मुख्य अतिथि जगप्रसाद सिंह ने कहा कि शासन की यह योजना बालिकाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक सराहनीय कदम है। साइकिल से न केवल बालिकाओं की विद्यालय पहुंच आसान होगी बल्कि ग्रामीण अंचल की बच्चियों में शिक्षा के प्रति जागरूकता भी बढ़ेगी। प्राचार्य अरूण कुमार राठौर ने बताया कि विद्यालय परिवार लगातार प्रयासरत है कि क्षेत्र की प्रत्येक बालिका शिक्षा की मुख्यधारा से जुड़ सके। उन्होंने शासन एवं शिक्षा विभाग के प्रति आभार जताते हुए कहा कि इस योजना से छात्राओं में शिक्षा के प्रति रुचि और आत्मविश्वास बढ़ा है। कार्यक्रम का संचालन विद्यालय शिक्षक पुनीत साहू ने किया तथा अंत में आभार प्रदर्शन एस.एम.डी.सी अध्यक्ष बी. पी. जायसवाल ने किया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में छात्राएं, अभिभावक व ग्रामीण जन बड़ी संख्या में उपस्थित रहे।

तकनीकी रूप से सक्षम और अपडेट रहे अधिकारी और जवान : प्रशांत

0 एसएसपी ने ली अपराध समीक्षा बैठक 0 अवैध गतिविधियों पर अंकुश तथा त्यौहारों पर सुरक्षा व्यवस्था कड़े रखने के निर्देश

प्रतिनिधि छ.ग. फ्रंटलाइन

सूरजपुर। शुक्रवार को एसएसपी प्रशांत कुमार ठाकुर द्वारा यहां जिला पुलिस कार्यालय सभाकक्ष में अपराध समीक्षा बैठक आयोजित किया। बैठक में उन्होंने विजिबल पुलिसिंग पर जोर देते हुए अवैध गतिविधियों पर अंकुश लगाने तथा सुरक्षा व शांती व्यवस्था कायम रखने के लिए कड़े कदम उठाने, वैधानिक कार्यवाही करने के साथ-साथ आवश्यकता अनुरूप बाउण्ड ओव्हर की कार्यवाही करने के निर्देश दिए। आगामी दिनों में पर्व के दौरान सजगता से ड्यूटी करने एवं भीड़भाड़ वाले जगहों पर भ्रमणशील रहने, आमजनता की सुविधा के लिए गुम मोबाईल रिकव्हरी दर को बढ़ाने एवं साइबर जागरूकता के लिए साइबर सुरक्षा संवाद कार्यक्रम निरंतर आयोजित कर साइबर फ्राड के पीड़ित को खुद के साथ घटित फ्राड की जानकारी को साझा करने हेतु प्रोत्साहित कर जागरूकता फैलाने, सड़क दुर्घटना के जोखिम को कम करने ब्लैक स्पोर्ट पर सुरक्षात्मक उपाए कराने, नियमित रूप से वाहन चेकिंग कर लापरवाहों पर सख्ती बरतने एवं नशीली दवाओं और मादक पदार्थो के व्यापार पर कड़ी कार्यवाही करने के निर्देश पुलिस अधिकारियों को दिए।

एसएसपी ने लंबित अपराध एवं शिकायतों की समीक्षा कर निराकरण में तेजी लाने के निर्देश देते हुए थाना प्रभारियों को कहा कि आज का दौर तकनीक का है जो तकनीकी रूप से सक्षम होगा वहीं अपडेट रहेगा उसकी परफार्मेन्स अच्छी होगी। अपराधों के कायमी के बाद समयसीमा 30-60-90 दिवस के भीतर अनिवार्य रूप से अभियोग पत्र न्यायालय में पेश करें। साइबर फ्राड के मामलों में गिरफ्तार आरोपियों की लिंकेज डिटेल जानकारी पोर्टल पर अनिवार्य रूप से अपलोड करने एवं साइबर फ्राड के शिकायत पर फौरन एक्शन लेने के निर्देश दिए ताकि पीड़ित की आर्थिक क्षति को कम किया जा सके।

प्रभारियों को तकनीकी कार्यो में दक्षता को और बढ़ाने, सीसीटीएनएस सहित अन्य आधुनिक पोर्टल्स पर सभी जानकारियों को समय पर अपलोड करने एवं प्रतिदिन इसकी निगरानी करने के निर्देश दिए। इस दौरान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक संतोष महतो, सीएसपी एस.एस.पैंकरा, डीएसपी मुख्यालय महालक्ष्मी कुलदीप, डीएसपी अनूप एक्का, रितेश चौधरी, एसडीओपी ओड़गी राजेश जोशी, एसडीओपी प्रेमनगर नरेन्द्र सिंह पुजारी, एसडीओपी सूरजपुर अभिषेक पैंकरा, डीएसपी अजाक पी.डी.कुजूर सहित जिले के सभी थाना-चौकी प्रभारी मौजूद रहे।

न्यायालय नायब तहसीलदार तहसील भैयाथान जिला सूरजपुर (छ०ग०)

रा.प्र.क्र./ब 121 वर्ष

ग्राम –प.ह.न. 10

ईश्तहार

एतद् द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदक शिवनारायन पिता राम प्रसाद जाति चमार निवासी ग्राम खड़गवां प.ह.न. 10 रा.नि.मं. भैयाथान तहसील भैयाथान जिला सूरजपुर (छ०ग०) द्वारा आवेदन पेश किया गया है कि आवेदक के पुत्री अनंध्या का दिनांक 20/06/2014 को ग्राम खड़गवां में जन्म हुआ है। अज्ञानतावश जन्म पंजीयन नही करा पाया है। आवेदक अपने पुत्री अनंध्या का जन्म पंजीयन हेतु ग्राम पंचायत खड़गवां को आदेशित करने आवेदन पेश किया है। जिसके संबंध में प्रकरण इस न्यायालय में विचाराधीन है। अतः उक्त संबंध में जिस किसी भी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो वे स्वयं अथवा अपने अधिवक्ता के माध्यम से पेशी दिनांक 23/10/025 तक अपना आपत्ति इस न्यायालय में पेश कर सकते हैं। नियत तिथी के बाद प्राप्त आपत्ति पर कोई विचार नही किया जावेगा।

आज दिनांक 13/10/025 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुहर से जारी किया गया।

कार्यपालिक दंडाधिकारी
भैयाथान
जिला– सूरजपुर(छ.ग)

न्यायालय नायब तहसीलदार तहसील भैयाथान जिला सूरजपुर (छ०ग०)

रा.प्र.क्र./ब 121 वर्ष

ग्राम –प.ह.न. 10

ईश्तहार

एतद् द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदक शिवनारायन पिता राम प्रसाद जाति चमार निवासी ग्राम खड़गवां प.ह.न. 10 रा.नि.मं. भैयाथान तहसील भैयाथान जिला सूरजपुर (छ०ग०) द्वारा आवेदन पेश किया गया है कि आवेदक की पुत्री संध्या का जन्म दिनांक 10/10/2011 को ग्राम खड़गवां में हुआ है। अज्ञानतावश जन्म पंजीयन नही करा पाया है। आवेदक अपने पुत्री संध्या का जन्म पंजीयन हेतु ग्राम पंचायत खड़गवां को आदेशित करने आवेदन पेश किया है। जिसके संबंध में प्रकरण इस न्यायालय में विचाराधीन है। अतः उक्त संबंध में जिस किसी भी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो वे स्वयं अथवा अपने अधिवक्ता के माध्यम से पेशी दिनांक 29/10/025 तक अपना आपत्ति इस न्यायालय में पेश कर सकते हैं। नियत तिथी के बाद प्राप्त आपत्ति पर कोई विचार नही किया जावेगा।

आज दिनांक 13/10/025 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुहर से जारी किया गया।

कार्यपालिक दंडाधिकारी
भैयाथान
जिला– सूरजपुर(छ.ग)

न्यायालय नायब तहसीलदार तहसील भैयाथान जिला सूरजपुर (छ०ग०)

रा.प्र.क्र./ब 121 वर्ष

ग्राम –प.ह.न. 10

ईश्तहार

एतद् द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदक शत्रुधन पिता राम नारायण जाति चमार निवासी ग्राम खड़गवां प.ह.न. 10 रा.नि.मं. भैयाथान तहसील भैयाथान जिला सूरजपुर (छ०ग०) द्वारा आवेदन पेश किया गया है कि आवेदक की पुत्र मनीष कुमार रवि का जन्म दिनांक 08/06/2013 को ग्राम खड़गवां में हुआ है। अज्ञानतावश जन्म पंजीयन नही करा पाया है। आवेदक अपने पुत्र मनीष कुमार रवि का जन्म पंजीयन हेतु ग्राम पंचायत खड़गवां को आदेशित करने आवेदन पेश किया है। जिसके संबंध में प्रकरण इस न्यायालय में विचाराधीन है। अतः उक्त संबंध में जिस किसी भी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो वे स्वयं अथवा अपने अधिवक्ता के माध्यम से पेशी दिनांक 29/10/025 तक अपना आपत्ति इस न्यायालय में पेश कर सकते हैं। नियत तिथी के बाद प्राप्त आपत्ति पर कोई विचार नही किया जावेगा।

आज दिनांक 13/10/025 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुहर से जारी किया गया।

कार्यपालिक दंडाधिकारी
भैयाथान
जिला– सूरजपुर(छ.ग)

न्यायालय नजूल अधिकारी अम्बिकापुर जिला–सरगुजा

रा०प्र०क्र०–/ब–121/2024–25

ईश्तहार

एतद द्वारा सर्व साधारण को सूचित किया जाता है, कि आवेदक मनोज कुमार अग्रवाल आ० ओमप्रकाश अग्रवाल निवासी अलकनंदा काम्पलेक्स के पास वार्ड नम्बर–29 थाना व तहसील अम्बिकापुर, जिला–सरगुजा छ०ग० के द्वारा शीट नम्बर –09 बाबूपारा नगर अम्बिकापुर स्थित नजूल भूमि प्लाट नम्बर 3467/4866/3/3 रकबा 1680 वर्गफीट भूमि पर प्रस्तावित नक्शानुसार अनुसार भू–तल पर रकबा 111.79 वर्गमीटर प्रथम तल पर रकबा 101.79 वर्गमीटर पर आवासीय भवन निर्माण कराने हेतु आवेदन पत्र मय मेन्टेनेन्स खसरा एवं प्रस्तावित ब्लूप्रिंट नक्शा की प्रति सहित आवेदन पत्र न्यायालय अपर कलेक्टर, अम्बिकापुर, जिला–सरगुजा छ०ग० में प्रस्तुत किया है जो जांच प्रतिवेदनार्थ इस न्यायालय प्राप्त हुआ है।

उक्त संबंध में यदि किसी व्यक्ति अथवा संस्था को कोई आपति हो तो अपना लिखित दावा/आपत्ति स्वयं अथवा अपने अधिवक्ता के माध्यम से दिनांक 31/10/2025 तक इस न्यायालय में उपस्थित होकर प्रस्तुत कर सकते है। नियत तिथि के बाद प्राप्त दावाध्आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जायेंगा।

आज दिनांक 10/10/2025 को मेरे हस्ताक्षर एंव न्यायालीन पदमुद्रा से जारी। किया गया

नजूल अधिकारी
अम्बिकापुर

न्यायालय तहसीलदार अम्बिकापुर के न्यायालय मे मामला क्रमांक : 202510020700046

विषयः– अ–24
मामले की श्रेणीः– राजस्व
सन् :– 2025–2026

नमना कला प.ह.न. 00020 (हे0), पक्षकारों का विवरण – आवेदक पक्षकार दिनेश मुण्डा,
अनावेदक पक्षकार –छ०ग० शासन,

ईश्तहार

आवेदक दिनेश मुण्डा पुत्र स्व० चमरा मुण्डा निवासी नमनाकला तहसील अम्बिकापुर जिला सरगुजा छ०ग० के द्वारा ग्राम नमनाकला स्थित भूमि खसरा नंबर 145/9 रकबा 0.014 हे0 मेसे रकबा 0.006 हे० भूमि को शासन के पक्ष में त्याग किये जाने हेतु आवेदन पेश किया गया है। उक्त संबंध में जिस किसी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो पेशी दिनांक 14.11.2025 के पूर्व न्यायालय में स्वंय अथवा अपने अभिभाषक के माध्यम से उपस्थित होकर दावा आपत्ति प्रस्तुत कर सकते है। समय सीमा के बाद प्राप्त दावा आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जायेगा।

यह ईश्तहार मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से आज दिनांक 14/10/2025 को जारी किया जाता है।

तहसीलदार
अम्बिकापुर

न्यायालय नजूल अधिकारी अम्बिकापुर जिला–सरगुजा

रा०प्र०क्र०/6/2024–25

ईश्तहार

एतद् द्वारा सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदकगण राज कुमार बंसल, सुशील कुमार बंसल, दिनेश कुमार बंसल, राकेश कुमार बंसल, सीमा बंसल आ. श्री राम अग्रवाल, जाति अग्रवाल, सभी निवासी जय स्तंभ चौक अग्रसेन वार्ड, अम्बिकापुर के द्वारा तदाशय का का आवेदन प्रस्तुत किया गया है, कि आवे. दकगण की माता श्रीमती कमला देवी बेवा श्रीराम अग्रवाल के स्वामित्व व अधिपत्य की शीट नं. 04. मोहल्ला सदर रोड़ नगर अम्बिकापुर स्थित नजूल प्लॉट नं. 2749/2, 2750/2. 2751 रकबा क्रमशः 0.01. 0.01. 0.01 एकड भूमि स्थित है। श्रीमती कमला देवी की मृत्यु दिनांक 31.07.2021 को हो गई है। अतः भूधारक श्रीमती कमला देवी की मृत्यु हो जाने उपरांत आवेदकगण द्वारा फौति नामांतरण के आधार पर उक्त भूमि के नजूल अभिलेख से उनका का नाम विलोपित कर स्वयं का नाम दर्ज कराने हेतु मृत्तक भूधारके के मृत्यु प्रमाण पत्र की छायाप्रति मय दस्तावेज सहित आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 109, 110 छ.ग. भू–राजस्व सहिता 1959 के तहत प्रस्तुत किया गया है। अतः उक्त सबंध में जिस किसी व्यक्ति या सस्था को कोई दावा अथवा आपत्ति हो तो वे अपना लिखित दावा/आपत्ति स्वंय अथवा अपने अधिवक्ता के माध्यम से दिनाक 17/10/2025 तक इस न्यायालय में प्रस्तुत कर सकते हैं। नियत तिथि के पश्चात प्राप्त दावा/अपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।

आज दिनांक 25/09/2025 को मेरे न्यायालयीन मुद्रा एव हस्ताक्षर से जारी किया।

नजूल अधिकारी
अम्बिकापुर

न्यायालय नायब तहसीलदार तहसील भैयाथान जिला सूरजपुर (छ०ग०)

रा.प्र.क्र./ब 121 वर्ष

ग्राम –प.ह.न. 10

ईश्तहार

एतद् द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदक शिवनारायन पिता राम प्रसाद जाति चमार निवासी ग्राम खड़गवां प.ह.न. 10 रा.नि.मं. भैयाथान तहसील भैयाथान जिला सूरजपुर (छ०ग०) द्वारा आवेदन पेश किया गया है कि आवेदक की पुत्री कु. अराधना का जन्म दिनांक 12/02/2013 को ग्राम खड़गवां में हुआ है। अज्ञानतावश जन्म पंजीयन नही करा पाया है। आवेदक अपने पुत्री कु. अराधना

का जन्म पंजीयन हेतु ग्राम पंचायत खड़गवां को आदेशित करने आवेदन पेश किया है। जिसके संबंध में प्रकरण इस न्यायालय में विचाराधीन है। अतः उक्त संबंध में जिस किसी भी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो वे स्वयं अथवा अपने अधिवक्ता के माध्यम से पेशी दिनांक 29/10/025 तक अपना आपत्ति इस न्यायालय में पेश कर सकते हैं। नियत तिथी के बाद प्राप्त आपत्ति पर कोई विचार नही किया जावेगा।

आज दिनांक 13/10/025 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुहर से जारी किया गया।

कार्यपालिक दंडाधिकारी
भैयाथान
जिला– सूरजपुर(छ.ग)

छत्तीसगढ़ शासन वन विभाग

बलरामपुर वनमण्डल बलरामपुर (छ.ग.)

नीलाम सूचना

सर्व साधारण को सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है कि बलरामपुर वनमण्डल के अंतर्गत काष्ठागार वाड्रफनगर में रखी इमारती लकड़ी/जलाऊ काष्ठ को निम्नलिखित तिथि व समय में ई–ऑक्सन द्वारा निवर्तन किया जाना है। इच्छुक व्यापारी ई–ऑक्सन में आवश्य भाग लेवें। ई–ऑक्सन की शर्तें एवं अन्य जानकारी कार्यालयीन दिवस व समय पर वनमण्डल कार्यालय अथवा काष्ठागार वाड्रफनगर से प्राप्त कर सकते हैं।

डिपो का नाम – काष्ठागार वाड्रफनगर

नीलाम दिनांक – 29.10.2025

समय – प्रातः 09:00 बजे से

क्र0	वनोपज का विवरण	नया काष्ठ		पुराना काष्ठ	
		लठ्ठा	बल्ली /डेंगरी	लठ्ठा (घ.मी.)	बल्ली /डेंगरी
		घ.मी.	नग	नग	
1	2	3	4	5	
A	इमारती काष्ठ				
1	सागौन	5.685	21	151.021	825
2	साल	422.141	77	1327.210	172
3	साजा	-	-	29.855	-
4	तिन्सा	-	-	0.108	-
5	बीजा, शीशम, खम्हार	7.402	7	6.576	-
6	हल्दु, मुडी, बांसा	42.093	-	6.949	-
7	धावड़ा	-	-	0.176	-
8	अन्य मिश्रित (सेमल)	-	-	5.376	-
9	नीलगिरी	-	-	-	-
10	सलया	-	-	-	-
11	खैर काष्ठ	-	-	-	-
	योग :–	477.321	105	1527.271	997

क्र	प्रजाति विवरण		
1	जलाऊ चट्टा मिश्रित प्रजाति सा. 2.00 मी0 X 1.25 X 0.80 मी0	136 चट्टा	222 चट्टा

टीपः– 1. क्रेता को ई–ऑक्सन के पूर्व एम.एस.टी.सी. ई–कोमर्स पोर्टल में रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य है।
2. क्रेताओं को ई–ऑक्सन के पूर्व क्रय लाटों के अपसेट प्राईज मूल्य के 10 प्रतिशत की राशि अपने वॉलेट में रखना अनिवार्य है। सफल बोलीदार को एक सप्ताह के भीतर शेष 15 प्रतिशत ई.एम.डी. की राशि जमा करना अनिवार्य है।
3. लॉट की थप्पी एवं फोटो एम.एस.टी.सी. ई–कॉमर्स पोर्टल में अपने आई.डी. से लॉगईन करके देख सकते हैं।

वनमण्डलाधिकारी
बलरामपुर वनमण्डल बलरामपुर

जी–252604225/2

संपर्क करें
समाचार, ईश्तहार, विज्ञापन हेतु संपर्क करें।
दैनिक छत्तीसगढ़ फ्रंटलाइन
गौरव पथ, गुरूद्वारा के पास बाबूपारा अम्बिकापुर
मो. 7566950555
9713108088

सरगुजा फ्रंटलाइन

65 लाख का राशन गबन करने के मामले में समिति की उपाध्यक्ष गिरफ्तार

छ.ग.फ्रंटलाइन अंबिकापुर। सार्वजानिक वितरण प्रणाली अंतर्गत राशन दुकान से लाखों रुपये का खाद्यान स्टॉक गबन करने के मामले में शामिल आरोपिया को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपिया के सहकारी समिति के उपाध्यक्ष रहते हुए खाद्यान स्टॉक में कमी पाई गई थी। प्रकरण में फरार अन्य आरोपियों के तलाश में पुलिस लगी है।

जानकारी के मुताबिक कार्यालय कलेक्टर खाद्य शाखा की ओर से शिव कुमार मिश्रा ने 7 अक्टूबर को थाना कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराया था कि सहायक खाद्य अधिकारी, अंबिकापुर ग्रामीण के साथ मिलकर जनकल्याण खाद्य सुरक्षा पोषण एवं उपभोक्ता

सेवा सहकारी समिति, घुटरापारा के माध्यम से संचालित शासकीय उचित मूल्य दुकान कमांक 391001071, 391001029 एवं 391001054 का संयुक्त रूप से जांच करने पर सितम्बर 2022 एवं 31 मार्च 2024 की स्थिति में किए गए भौतिक सत्यापन दौरान सभी दुकानों में चावल 1631.29 क्विंटल राशि 6162267 रुपये, शक्कर 10.43 क्विंटल 49160 रुपये एवं चना 48.34 क्विंटल 292692 रुपये, कुल राशि 64 लाख 94 हजार 120 रुपये 67 पैसे की कमी पाई गई। रिपोर्ट पर थाना कोतवाली में धारा 420, 409,120(बी), भा.द.वि. एवं आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3, 7 के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया था। दौरान विवेचना पुलिस टीम ने आरोपिया सुनीता पैकरा पिता गणेश पैकरा 29 वर्ष, निवासी घुटरापारा नहर रोड को गिरफ्तार करके न्यायालय के समक्ष पेश किया है। कार्रवाई में थाना प्रभारी कोतवाली निरीक्षक शशिकान्त सिन्हा, उप निरीक्षक विजय गुप्ता, आरक्षक आनंद गुप्ता, नितिन सिन्हा, अतुल सिंह सक्रिय रहे।

ग्रामीण महिलाओं को सशक्त करने सकालो में शुरू हुआ साप्ताहिक बकरी मंडी

छ.ग.फ्रंटलाइन अंबिकापुर। ग्रामीण आजीविका को सशक्त बनाने और महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में राष्ट्रीय आजीविका मिशन (बिहान) एवं पशुधन विकास विभाग के संयुक्त प्रयास से जनपद पंचायत अंबिकापुर अंतर्गत ग्राम पंचायत सकालो में साप्ताहिक बकरी मंडी का शुभारंभ किया गया है। इस दौरान सकालो सरपंच सुरेश सिंह, उप सरपंच भोलाचंद टेकाम, जिला पंचायत सीईओ श्री विनय कुमार अग्रवाल, पशुधन विकास विभाग उप संचालक डॉ आर पी शुक्ला, पशुधन विकास विभाग अतिरिक्त उप संचालक डॉ सी.के. मिश्रा, जनपद सीईओ श्री राजेश सेंगर सहित बड़ी संख्या में स्वयं सहायता समूह की महिलाएं उपस्थित थे। मंडी का संचालन मां लक्ष्मी स्वयं सहायता समूह द्वारा किया जा रहा है, इससे ग्रामीण पशुपालकों के लिए व्यापार का नया मंच प्राप्त होगा।

स्वामी, प्रकाशक एवं मुद्रक- मनीष पाठक द्वारा स्पीड प्रिंटर्स व आफसेट पुराना पोस्ट ऑफीस रोड दर्रीपारा अम्बिकापुर पिन नं. 497001 (छत्तीसगढ़) से मुद्रित एवं प्रकाशित। संपादक-रणविजय सिंह तोमर